



Government of Himachal Pradesh

**H.P. INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION
FAIRLAWN, SHIMLA-171012**

**ANNUAL ADMINISTRATION REPORT
2022-23**

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

H.P.INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION (HIPA)



ANNUAL GENERAL ADMINISTRATION REPORT

2022-23

**H.P. Institute of Public Administration, (HIPA)
Fairlawns, Shimla-171012**

Telephone: 0177-2734777

e-mail hipa-hp@nic.in

Fax: 0177-2734679

Website:<http://himachal.gov.in/hipa>

FOREWORD

Training is the systematic process of altering the behavior of employees in a direction to increase and improve the achievement of organizational goals. It is a learning process that involves the acquisition of knowledge, sharpening of skills, concepts, rules or changing of attitudes and behaviours to enhance the performance of employees. I am glad that H P Institute of Public Administration has been contributing significantly towards capacity building of employees of the State Government through imparting training. The Institute, in addition to mandated functions, is also organizing training programmes on the demand of different State, Central and other organizations by leasing out its resources viz. human and infrastructure.

Capacity of human resources is dependent on internal factors viz. Knowledge, Skills, Attitudes and external factors i.e. Environment. Training has been defined as a planned process to modify attitude, knowledge or skill behaviour through learning experience to achieve effective performance in an activity or range of activities. Its purpose in the work situation is to develop the abilities of the individual and to satisfy current and future manpower needs of the organization.

HIPA should help in developing policies for incentives to accelerate the process of innovation and cross-fertilization of ideas and honour outstanding innovations in public systems.

The Annual Administration Report 2022-23 presents an elaborate view of the activities and progress of the H.P. Institute of Public Administration aimed at the improvement of administrative efficiency of the officials in the work situation required for delivery of public service in line with the vision and mission of the Government.

(C. Paulrasu) IAS,
Secretary (Training),
to the Government of Himachal Pradesh,
Shimla-171002

PREFACE

HIPA, the State's Apex Training Institute (ATI) is catering to the needs of capacity building of officers of the Indian Administrative Services (State cadre), the officers of the State Civil Services and other State Govt. Officers/officials including elected representatives of PRIs, since its inception on 1st January, 1974. The role of HIPA has undergone significant change in the recent past with the focus of the State Government on citizen centric administration, demand based programmes, schemes and policies, e governance and new technologies. This has become more elaborate after the implementation of State Training Policy, 2009.

To cope up with the challenges of time, every govt. department has to update its human capital to deal with new technologies and procedures. Training provides a platform for improving capacities and capabilities of the personnel of an organization. Training bridges the gaps of knowledge, experience & techniques, resulting in quality service delivery and motivation of the employees.

HIPA aims at enriching the abilities by imparting training which aims at inculcating a sense of purpose, greater dedication and appropriate skills among the officers and officials of the state government in discharge of their duties and responsibilities. In furthering the cause of capacity development, as Apex Training Institute of the State, HIPA has to undertake the mammoth task of tracking the innovations in public systems, manpower management, process improvement and system re-engineering by customization of training modules replacing it with an endeavour to prepare the civil services of the state to address the latest changes taking place nationally and internationally. In coming times, the Institute is expected to document, disseminate and help replicate innovative best practices seen in Government., HIPA organized 206 training courses/events under broadly 15 thematic programme during the year 2022-23 due to increased emphasis on training, where in a total of 5503 officials participated for various programmes including Induction, Professional, Foundation, Refresher and specialized programmes as per training needs of the different departments. This has resulted in generation of 25193 training mandays, which is a remarkable achievement. With the implementation of State Training Policy, 2009 designation of Training Managers in different departments, HIPA has been getting Department specific Annual Training Plans and Manuals for better structuring of the training programmes.

This report presents an overview of the organizational set up, training infrastructure financial outlay, and expenditure & physical performance of training programmes/courses conducted during the year 2022-23. Any suggestions and feedback to improve the report are solicited.

(Shubh Karan Singh) IAS,
Director,
H.P. Institute of Public Administration,
Fairlawns, Shimla-171012

CONTENTS

CHAPTER-1	THE INSTITUTE	PAGES
	History & Background	01
	Aims and Objectives	01
	Organizational Structure	02
	Staff Position	03
	ATI	04
	Disaster management Centre	04
	Objectives & Functions (DMC)	05
	Centre for Management Studies (CMS)	05
	Governing Council	06
	Board of Departmental Examination	06
	Social Impact Assessment Unit (SIAU)	07
	Functions & Funding of Social Impact Assessment Unit (SIAU)	08
	SIA & Empanelment of Social Impact Assessment Resource Partners and Practitioners	09
	Staff Position of Social Impact Assessment Unit (SIAU)	10
	Budget Allocation & Expenditure	10
CHAPTER-II	TRAINING INFRASTRUCTURE	13
	Boarding & Lodging	13
	HIPA Hospitality Co- operative Society (HHCS)	13
	Kalptaru: Additional Building	14
	Auditorium Block	14
	Library	14
	Sports & Exercise Centre	15
	Transportation Facilities	15
	Website	15
CHAPTER-III	PROGRESS & PERFORMANCE	16
	Training Activities	17
	Courses Organized during 2022-23	18
	Category wise detail of courses organized during 2022-23	19
	Institutional/ Foundational/ Course for IAS/ HAS	19
	State Training Programme	19
	Office Management Training Programme	19
	Communication & Presentation Skills	19
	Training Programme on RTI Act, 2005 and H.P.Public Service Guarantee Act, 2011	19
	DoPT Govt. Sponsored Training Programmes	20
	Department Specific (Paid) Programme	20
	IT Courses (Computer Training Programmes)	23
	Induction Training Programmes	23
	Courses under Disaster Management Centre	24
	Seminar/ Conferences/ workshops on different subjects	24
	Courses conducted at RTCs (Mandi, Nahan, Chamba, Dharamshala)	25
	Implementation of RTI Act	26
	Social Impact Assessment Unit at HIPA	26
	Board of Departmental Examination	28

CHAPTER-I

THE INSTITUTE

HISTORY & BACKGROUND

The Himachal Pradesh Institute of Public Administration known as HIPA was set up on 1st January, 1974 at Fairlawn, Shimla. It is situated in serene and picturesque surroundings with well laid lawns. The building was originally constructed by Mr. R. Dixon of the foreign office of British India. It was later taken over by Nawab Muzaffar Ali Khan Quizzalbash and on his migration to Pakistan in 1947; it was converted into a Circuit House by the Punjab Government. At the time of Punjab re-organization Act in November, 1966, the building along with other assets were transferred to Himachal Pradesh Government which subsequently selected it for setting up of the State Training Institute. The Institute functions under the Department of Training and Foreign Assignment, Government of Himachal Pradesh and is headed by the Director who is an officer of the Indian Administrative Service. The training needs and demands of various Departments, Boards, and Corporations etc. increased incrementally over the time. The mandate of HIPA has been expanded to meet the training requirements of Government at all levels. In the year 1982, the State Institute of Rural Development was established in HIPA with financial assistance from Ministry of Rural Development, Government of India. The Institute has been assigned the responsibility of organizing training for H.P. Finance & Account Service for past many years. The State Centre for Disaster Management has been established within the Institute in the year 2009. The Board of Departmental Examination is also located in the Institute. The State government has identified this Institute as an independent agency as Social Impact Assessment Unit in the state according to the provisions of Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015 under the chairmanship of Director, HIPA.


AIMS AND OBJECTIVES

The Institute is the Apex Training Institute of the State and is a multi-disciplinary organization that aims to promote the capacity of government functionaries at different levels to help them to improve their working to facilitate the economic and

social well-being of the people in the State. The Institute comprises Administrative Training Institute, Board of Departmental Examinations and Social Impact Assessment Unit. It provides training with an aim to inculcate a better sense of purpose, dedication and appropriate skills among the officers and officials of State in discharging their duties and responsibilities. Apart from its own campus at Shimla, the Institute also conducts a number of training programmes at district headquarters of the State through its network of four Regional/ District Training Centers at Mandi, Dharamshala, Chamba and Nahan set up in collaboration with NIELIT, a Government of India enterprise.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

The Institute is headed by the Director, who is assisted by a number of officers and faculty members in functioning of the Institute. Organizational Structure of the Institute is as under:



***ATI**:- Administrative Training Institute.

***BODE**:-Board of Departmental Examinations

***SIAU** :Social Impact Assessment Unit

IV. Staff Position (as on 31-3-2023)

Sr. No.	Designation	Sanctioned Posts	In Position	Vacant
1.	Director	1	1	0
2.	Addl. Director	1	1	0
Administrative Training Institute				
3.	Prof & Head (DMC)	1	0	1
4.	Associate Prof. (MGT/Economics /DM)	3	0	3
5.	Asstt. Prof (PA/IT)	2	2	0
6.	Joint Controller, HPFAS	3	3	0
7.	Deputy Controller, HPFAS	2	2	0
8.	Dy. Director (Treasury)	1	1	0
9.	Res & Documentation Officer (DMC)	1	0	1
10.	Supdt. Grade-I	1	1	0
Non Gazetted staff				
11.	P.A.	1	0	1
12.	Supdt Grade-II	3	0	3
13.	Sr. Asstt.	8	1	7
14.	Instructor (IT)	1	1	0
15.	Manager (IT)	1	0	1
16.	Jr. Asstt/ Clerk	5	5	0
17.	Jr. Office Asstt. (IT)	9	3	6
18.	Steno Typist	2	2	0
19.	Computer Operator (HIPA & DMC)	2	1	1
20.	Audio Visual Assistant	1	0	1
21.	Librarian	1	0	1
22.	Asstt. Librarian	1	0	1
23.	Investigator	4	2	2
24.	Driver	5	5	0
25.	File Fetcher Cum Book Binder	1	1	0
26.	Cook	1	0	1
27.	Class-IV/ Room Attendant/ Chowkidar	19	14	5
28.	Mali	2	0	2
29.	Sweeper	3	3	0
30.	Cleaner-cum Conductor	2	2	0
31.	Sweeper-cum-Chowkidar	1	1	0
32.	Library Attendant	2	2	0
33.	Gestetner Operator	1	1	0
	Total	92	55	37

ADMINISTRATIVE TRAINING INSTITUTE (ATI)

As per the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) Rules 1971, the Institute has been allocated with the following functions:

- All matters relating to Himachal Pradesh Institute of Public Administration including budget, accounts, establishment etc.
- Conduct of training Courses, Seminars and Refresher Courses, Departmental Examinations in respect of services/departments as may be assigned to the Himachal Pradesh Institute of Public Administration by the Government.
- Revision of Rules, Manuals, Codes, etc.
- Research and Publications connected with the Public Administration.
- Consultative and Advisory Services in Management Techniques.

In addition to the above functions, the Institute organizes demand driven training programmes for different State, Central and other organizations by offering its logistics and human resources. Besides this, it is also engaged in executing various projects of Ministries of Government of India.

The State Training Policy, 2009 envisages induction and refresher trainings to each government employee once in five years for which funds in annual budget are available with government departments. As a result of the aforesaid provision, most of the government departments have come out with their Training Plans and Training Manuals.

The following section/branches are functioning under the aegis of the Administrative Training Institute:

DISASTER MANAGEMENT CENTRE

The Disaster Management Centre in Himachal Pradesh Institute of Public Administration Fairlawn was established during the year 2009 for capacity development as envisaged and enshrined in the Disaster Management Act-2005. Ever since its inception, the centre has played a catalytic role in enhancing capacity of the stakeholders for dealing with diverse facets of multi hazards which affects the state every year. The DMC has oriented its activities to address pre-disaster risk reduction and as well as post disaster recoveries and rehabilitation aspects of disaster cycle. The Centre is providing regular trainings to Officers & Officials of the State Government, representatives of Panchayati Raj Institutions, Urban Local Bodies, NGOs & Mahila/Yuvak Mandals. In the financial year **2022-23** this Disaster Management Centre, HIPA has conducted **5** training programmes on different topics and total participants **199** and generating **703** training mandays.

Emphasis on the capacity building of disaster management functionalities have been one of the principal endeavors of the Disaster Management Centre. As part of this endeavor, the training programmes organized during the year 2022-23 addressing the various capacity building issues, largely in respect of disaster risk reduction, community based disaster management, safe construction practices, quick incident response.

OBJECTIVES & FUNCTIONS:-

- To create awareness & knowledge dissemination in the field of Disaster Management.
- To develop adequate capacity of all stakeholders for dealing with all facets of Disaster Management.
- To improve quick response and recovery process for saving the people of the State.
- To enhance the efficiency & performance level of the disaster management functionalities.
- To disseminate information on important concepts, guidelines, and policies issued by State Disaster Management Authority (SDMA), National Disaster Management Authority (NDMA) and National Institute of Disaster Management (NIDM) from time to time.
- As per Disaster Management Act, 2005 to promote Capacity building of Government functionalities at all levels for preparedness and mitigation measures in Disaster like situation.

CENTRE FOR MANAGEMENT STUDIES (CMS)

As per the provisions of Govt. of Himachal Pradesh (Allocation) Rules, 1971, (amended up to 31-03-2010) the following functionalities are also being discharged by this Institute under Centre for Management Studies:

1. Research and publications connected with the Public Administration.
2. Consultative and Advisory Services in Management Technique.

The Centre for Management Studies (CMS) is a registered Society under the Societies Registration Act 1860. The Society was formed on 19th August, 1989. The registered office of the Society is at HIPA, Fairlawn, Shimla-12. The Society known as “Centre for Management Studies” is a teaching-cum-research organization devoted to the study of management. Its broad aims and objectives are:-

1. To assist, collaborate and organize training programmes in various management systems particularly in the field of financial management.
2. To promote the study of management systems and practices with a view to expanding the frontiers of knowledge in the field.

3. To undertake or to help research studies in management systems.
4. To render professional assistance in the field of management to individuals and organizations.
5. To help in the growth of professionalism in the area of management systems.
6. To undertake such other activities and to create such other structures, Institutions and organizations as may be found essential or conducive to the better realization of the above mentioned aims and objectives.

GOVERNING COUNCIL

The Governing Council of Centre for Management Studies has been notified comprising the following:-

1. Chief Secretary to the Government of H.P.	President
2. Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister Himachal Pradesh.	Member
3. Secretary (Revenue) to the Government of H.P.	Member
4. Secretary (Finance) to the Government of H.P.	Member
5. Secretary (I & PH) to the Government of H.P.	Member
6. Secretary (Training) to the Government of H.P.	Member
7. Secretary (R.D.) to the Government of H.P.	Member
8. Secretary (P.W.D.) to the Government of H.P.	Member
9. Professor and Head Department of Business Administration, H.P. University, Shimla-171005.	Member
10. Director, H.P. Institute of Public Administration.	Member Secretary

BOARD OF DEPARTMENTAL EXAMINATION

The H.P. Departmental Exam Rules 1976 were notified with the approval of HPPSC vide notification No. HIPA(Exam)12/75, dated 23.03.1976 & exams are accordingly being conducted. The Departmental Examinations are required to be qualified once in the service career by the officers/ officials belonging to the following categories for the purpose of confirmation in service after completion of probationary period, proficiency step-up, placement in higher scale and promotion to the next higher post:-

1. IAS/HAS Officers
2. Tehsildars/ Naib-Tehsildars
3. IFS/HPFS and all other Gazetted / Non-Gazetted Officers of Himachal Pradesh (Technical/Non-Technical)

The Departmental Examination for the above categories of officers/ officials alongwith other categories of officers of HPTDC, Electricity Board & Board of School Education is normally conducted twice in a year in accordance with the H.P.

Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time. In addition to the above, the departmental examinations for the Excise and Taxation Inspectors of the Excise and Taxation Department of Himachal Pradesh are also being conducted under the Excise and Taxation Inspectors Departmental Examination Rules, 1978.

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT UNIT (SIAU)

The State Government has been entrusted with the responsibility to identify or establish an independent organization which shall be responsible for ensuring that Social Impact Assessment are commissioned and conducted by such persons or bodies other than the Requiring Body as per the provisions of the Act.

Revenue Department vide Notification No. Rev.B.A(3)-3/2014-Vol.II dated: 27/11/2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution organisation of India has constituted the Social Impact Assessment Unit as an independent organization for carrying out the purpose of the Rules.

CONSTITUTION OF THE SOCIAL IMPACT ASSESSMENT UNIT

In exercise of the powers conferred under rule 4 of the Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015, the Governor of Himachal Pradesh has notified the constitution of the Social Impact Assessment Unit, as under:

Sr. No	Designation	Department	Responsibility
1.	The Director	HIPA, Shimla	Chairperson
2.	In-charge	SIRD, HIPA, Shimla	Member
3.	Head	Department of Sociology and Social Work, HP University, Shimla	Member
4.	Chief Scientific	Department of Environment, Scientific & Technology, Shimla	Member

The aforesaid Social Impact Assessment Unit has been constituted to act as an independent organization for carrying out the purposes of the rules i.e. Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015. The acquiring Departments have to provide at least two Senior Assistant as ministerial one class-IV employee to the Social Impact Assessment Unit concerned. They have been under the obligation to provide the adequate stationery to this Unit.

FUNCTIONS

The Social Impact Assessment Unit shall undertake the following tasks namely. -

(a) Build and continuously expand a Database of qualified Social Impact Assessment Resource Partners and Practitioners, which will serve as a network of individuals and institutions with the required skills and capacities to conduct Social Assessments for land acquisition, rehabilitation and resettlement as specified in Rule 2 (a) Data Base of Resource Partners / Practitioners.

(b) Respond immediately to State Government's request for a Social Impact Assessment to be conducted by preparing project-specific Terms of Reference.

(c) Conduct training and capacity' building programmes for the Social Impact Assessment term and community surveyors and make available manuals, tools, comparative case study reports and other materials required for the analysis;

(d) Provides ongoing support and corrective action, as required during the Social Impact Assessment Process;

(e) Ensure that the transaction-based web-based workflow for Social Impact Assessments and Management Information System for Land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement as specified in rule 13 is maintained and that all relevant documents are disclosed as per the provisions of the Act;

(f) Maintain, catalogue of all Social Impact Assessments and associated primary material;

(g) Continuously review, evaluate and strengthen the quality of Social Impact Assessments and the capacities available to conduct them across the State.

FUNDING

Ten per cent of the Social Impact Assessment fee is allocated to Social Impact Assessment Unit as administrative expenses for preparing the Terms of Reference and estimated Social Impact Assessment fee report to submit the same to the State Government.

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT

The Social Impact Assessment team may be constituted by appointing individuals or an organization with experience in conducting Social Impact Assessments

or related field-based assessments and the team may include a combination of independent practitioners, qualified social activists, academics, technical experts, who are not directly connected with the requiring body and at least one of them is a woman member. The size and selection criteria for the Social Impact Assessment team shall be as per the project specific Terms of Reference developed by the Social Impact Assessment Unit. A team leader shall be appointed from amongst the Social Impact Assessment team to liaison with the Social Impact Assessment Unit throughout the assessment period.

Empanelment of Social Impact Assessment Resource Partners and Practitioners

SIAU invites applications to empanel qualified Social Impact Assessment Resource Partners and Practitioners from institutions and individuals for the purpose of carrying out Social Impact Assessment for each of the project where the State Govt. intends to acquire land on the basis of Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015 with a view to build and continuously expand a database of qualified Social Impact Assessment Resource Partners and Practitioners, which will serve as a network of individuals and institutions with the required skills and capacities to conduct Social Assessments for land acquisition, rehabilitation and resettlement.

The report prepared by the Evaluation Committee after scrutiny for the empanelment of qualified partners/practitioners are presented for consideration. The Institutions whose information & supporting documents are found to be in line with the eligibility criteria are recommended for empanelment in accordance with the specific provisions of the rules. The Institutions on the basis of the scrutiny and examination of the supporting documents and report are empanelled.

A team leader should be appointed from amongst the social impact assessment team members to liaison with the SIAU throughout the assessment period.

The SIAU shall also take necessary undertakings from all the team members to ensure that there is no conflict of interest involved of the team members appointed to assess the concerned project as well as they or their family members shall not receive direct or indirect any benefit from requiring body.

Conduct trainings and capacity building of social impact assessment team members to undertake the social impact assessment and make available manuals, tool comparative case study reports and other material required for analysis.

STAFF POSITION

In addition, dealing of all correspondence related to SIAU, RTI, VidhanSabha and Litigation matters if any of SIAU as well as maintenance of accounts/funds and other record of the SIAU.

The SIAU is supported by the following Officers/Officials.

1. Member Secretary
2. Tehsildar
3. Office Assistant
4. Peon

BUDGET ALLOCATION AND EXPENDITURE

The following tables gives detail of the allocation and expenditure of the Institute under Non-Plan and Plan head of the budget for the financial year, 2022-2023.

01-IAS-Non Plan

Sr. No.	SOE	Total Budget (Rs.)	Expenditure Incurred (Rs.)	Percentage
1.	2070-00-003-01 IAS Non Plan SOON			
	01-Salary	1,43,44,000	1,43,21,718	100%
	03-Travel Expenses	7,49,000	7,27,844	97%
	05-Office Expenses	5,93,000	5,92,461	100%
	06-Medical Reimbursement	1,03,000	86,232	84%
	10-Hospt. & Ent.	11,000	3,275	30%
	12-Prof. & Spl. Services	29,00,000	29,00,000	100%
	15-Training	1,56,000	1,55,900	100%
	20-Other Charges	8,00,000	7,65,904	96%
	27-Motor Vehicle (Purchase)	1,000	0	0
	30-Motor Vehicle	5,47,000	3,59,137	66%
	33-Material & Supply	11,000	5,100	46%
	64-Transfer Expenses	3,26,000	3,25,120	100%
	Total:-	2,05,41,000	2,02,42,691	98%

02- HAS Non Plan

2.	2070-00-003-02 HAS Non Plan SOON			
	01-Salary	1,00,01,000	1,04,59,132	105%
	03- Travel Expenses	3,83,000	2,70,728	71%
	05-Office Expenses	20,000	20,000	100%
	06-Medical Reimb.	70,000	69,633	99%
	15-Training	2,00,000	1,99,355	99%
	20-Other Charges	8,000	4,484	56%
	Total:-	1,06,82,000	1,10,23,332	105%

03- HIPA- Non Plan

3.	2070-00-003-03 HIPA Non Plan SOON			
	01-Salary	3,68,57,000	3,58,59,637	97%
	02-Wages	6,00,000	45,900	8%
	03- Travel Expenses	2,09,000	36,770	18%
	05-Office Expenses	3,56,000	3,38,803	95%
	06-Medical Reimb.	3,11,000	3,10,784	100%
	07-Rent Rate & Taxes	3,06,000	3,05,250	100%
	15-Training	1,39,000	1,37,661	99%
	27-Motor Vehicle (Purchase)	9,10,000	9,00,349	99%
	30-Motor Vehicle	8,90,000	8,70,146	98%
	64-Transfer Expenses	8,000	7,353	92%
	65- Outsourcing Charges	14,84,000	14,80,240	100%
	Total:-	4,20,70,000	4,02,92,893	97%

04- 2070-00-003-04 Training and Research in Rural Development (Centrally Sponsored Scheme 80:20) S20N (PS) PLAN

Sr. No.	SOE	Total Budget	Expenditure Incurred (Rs.)	Percentage
1.	15-Training Expenses	8,00,000	4,86,715	61%
	Total=	8,00,000	4,86,715	61%

04- 2070-00-003-04 Training and Research in Rural Development (Centrally Sponsored Scheme 80:20) C80N (PH) PLAN

Sr. No.	SOE	Total Budget	Expenditure Incurred (Rs.)	Percentage
1.	15-Training	30,000,00	22,80,263	76%
	Total=	30,000,00	22,80,263	76%

04- 2070-00-003-04 Training and Research in Rural development (Centrally Sponsored Scheme 100% COON-(PC)PLAN

Sr. No.	SOE	Total Budget	Expenditure Incurred (Rs.)	Percentage
1.	01-Salary	69,86,996	68,50,050	98%
2.	02- Wages	1,00,000	0	0
3.	03-Travel Expenses	1,50,000	28,748	19%
4.	05-Office Expenses	3,50,000	3,25,956	93%
5.	06-Medical Reimb.	1,00,000	94,239	94%
6.	30-Motor Vehicle	3,00,000	2,94,289	98%
7.	64- Remun. Out Sourced Emp.	10,13,004	5,90,877	58%
	Total	90,00,000	81,84,159	91%

2235-60-800-24-(21)-SOON-06

Medical Reimbursement of Pensioners of HIPA

Sr. No.	SOE	Total Budget	Expenditure Incurred (Rs.)	Percentage
1.	06- Medical Reimbursement of HIPA Pensioners	6,24,000	5,73,994	91%
	Total=	6,24,000	5,73,994	91%

2059-Public Works-01-Office Building-053

Maintenance & Repaires-24-Maintenance Expenses of HIPA Building (SOON State Scheme)

Sr. No.	SOE	Total Budget (Rs.)	Expenditure Incurred (Rs.)	Percentage
1.	21-Maintenance	20,000,00	20,000,00	100%
	Total=	20,000,00	20,000,00	100%

CHAPTER-II

TRAINING INFRASTRUCTURE

The Institute has two well-furnished Conference Halls with seating capacity of 120 and 60 participants respectively and having all audio-visual support including recording facilities. The Institute has seven well-furnished Class Rooms with seating capacity of each class room for 25 to 30 trainees. The classroom has all modern teaching aids e.g. LCD/LED screens, Electronic Podium, Computers, White Boards, Public Address Systems etc. The Institute has one IT Centre and one IT Lab. The Campus is under CCTV coverage and the whole campus has Wi-Fi facility. One ATM has been established for the convenience of participants.

BOARDING & LODGING

Lodging arrangements for the participants who undergo training in the various programmes are made in the Guest Houses of the Institute against approved payment rates. The Institute has two hostels and two guest houses within its campus for trainees and guest faculty members visiting HIPA. 72 double bedded rooms with attached bathrooms are well equipped to make the stay of visitors comfortable. The Institute also has provision of suitable accommodation for the use of participants support staff, if required. The boarding & lodging arrangements for out station guest faculty members are provided complimentary.

HIPA HOSPITALITY & CO-OPERATIVE SOCIETY (HHCS)

HIPA Hospitality & Co-operative Society (HHCS) was constituted and registered under Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969) on December 1, 1993. The Society has been providing boarding and lodging services to all training activities of HIPA. The Government of H.P. has accorded approval in favour of Institute to manage Hostels and Guest Houses through HHCS without any extra burden on State. HHCS has been charging for their services (on rates approved/revised from time to time) with respect to boarding and lodging. The maintenance of office campus especially the boarding, lodging and training infrastructure is undertaken by HHCS. In addition, HHCS also procures and supplies training kits and other materials required in training activity of HIPA. With an employee strength of 24 persons, housekeeping of two trainee hostels (85 rooms), Guest House and catering of about 200 trainees at a time has been made possible by the HHCS. The periodic automation/maintenance in the kitchen and hostels is carried out effectively. An automatic Roti Maker and a dough making machine has been installed in the kitchen to enhance efficiency and hygiene level.

KALPTARU: ADDITIONAL BUILDING

A new multipurpose building “Kalptaru” has come up with new classrooms & guest rooms. This building comprises of two class rooms with State of the Art modern furniture and teaching tools, 2 Faculty Office Rooms, 6 Guest Rooms, Dormitory and a Multipurpose Hall. The building has been made PwD friendly with facilities of elevator and ramps. This will further improve the training standards and capacity of the Institute.

AUDITORIUM BLOCK

There is a need of auditorium at the institute to organize different programmes and activities. The proposal to this effect was drawn for the building on the land available with the Institute. All the codal formalities and necessary approvals have been finalized and work at site has been started and is near completion. The proposed auditorium will be a new block of approximately 200 capacity. The construction work is under progress.

LIBRARY

The Institute has a well-equipped library which meets the need of faculty members, participants of the training courses, workshops and seminars; State government officers/ officials; probationers and staff members of this Institute. In addition, it also serves the requirements of guest speakers, researchers, academicians and administration who visit the Institute from time to time. The timings of library are from **9.00 AM to 7.00 P.M.** Extended timings have been kept for the benefit of trainees and other persons staying at the Institute. The library has **46029 books (up to 31.03.2023)** in its stock on various subjects including Rural Development, Public Administration, Management, Sociology, Law, Economics, Political Science, Panchayati Raj, Fiction, Hindi Literature etc. The Library has subscription of **32 Magazines** and **22 Newspapers**. The library membership is open to all the State Government officers/ officials and participants of training programmes in the Institute. At present there are **1099 Members** (up to **31.03.2023**). The membership fee is **Rs. 1000/-** which is refundable. The Library Books are regularly updated in E-Granthalaya, the catalogue of which is available online at https://eg4.nic.in/ATI/OPAC/Default.aspx?LIB_CODE=HIPA. For increased use of website resources, **2 Computers** have been installed in the library with internet facility. Photocopy/Lamination facility is also available in the library premises for trainees and other research scholars.

SPORTS AND EXERCISE CENTRE

The Institute has indoor and outdoor sports/games facilities available to keep body and mind healthy. The Sports facilities include Gymnasium, Billiards, Badminton, Lawn Tennis, Cycling, Croquet, Carrom Board and table tennis. The sports timing is 6.00 A.M. to 8.00 A.M. and 5.00 P.M. to 8.00 P.M.

TRANSPORTATION FACILITIES

The Institute has two buses to bring the participants from the city to Institute and take them back.

WEBSITE

Himachal Pradesh Institute of Public Administration Website www.hipashimla.nic.in is a one-point source for information regarding various activities and training courses organized in the Institute and its Regional/District Training Centers at Dharamshala, Mandi, Nahan and Chamba. Information regarding different types of facilities such as Library, Mess, Hostel, Sports Complex etc. can also be found on the website. The mandatory information related to Right to Information Act, 2005 has been hosted on the on this web site. The contact numbers with e-mail IDs of Officers/Faculty members for the convenience of the participants and other users are available here. There is a “Guest Faculty Database” hyperlink in the website, if any resource person intends to deliver lecture in the Institute then one can enter his/her resume in the software. Online HIPA library can also be accessed on the website for searching books on different subjects. Board of Departmental Examination results, notification and roll numbers are hosted regularly for the candidates. The following data can be downloaded from the website:-

1. Training Calendar
2. Departmental Examinations related information such as previous/sample question papers.

3. Nomination form for training.
4. Library Membership form
5. Departmental Examination Form.
6. Study material.
7. Result of Departmental Exam.

CHAPTER-III

PROGRESS & PERFORMANCE

The recent past has seen a paradigm shift in the economic, political, social and technological scenario all around and this State is no exception. This has necessitated taking stock of the available Human Resources, both quantitatively and qualitatively. It hardly needs to be mentioned that the competence, skills and attitudes of the State Govt. employees have a great bearing on the quality of their output. This casts upon the Government a duty to ensure that it makes all efforts to improve the competence of its employees who are the principal agents of delivering the States services to its people. These efforts need not to remain confined to the time of induction in service of these employees but shall continue throughout the period as long as employees remain in Government service. Training Needs Analysis (TNA) is an integrated part of Training Manual and leads to firming up of needs of the organization for Human Resource Development. The Training Needs Analysis (TNA) leads to identification of the weak links of Human Resource Utilization and gives clear picture of the weakness and strength of the Human Resource show as to how best it can be utilized in future for the benefit of the organization.

The H.P. State Training Policy, 2009 states that training may be imparted at Training Institutions or at the work places or on decentralized basis at district, sub-district levels by the departments. The training tools depend on the target group. However, all available modern methods of training like lectures, group discussions,

project work, audio visual materials, printed materials, case studies/action learning, brain storming, exposure visits etc. are being used. The Departments have been asked to formulate Training Manuals based on Training Needs Analysis (TNA). The departments are required to communicate and request for arranging appropriate training by the training Institute.

I. TRAINING ACTIVITIES

Major training activities of the Institute are:-

- Training of Indian Administrative Services
- Professional Course for H.A.S. Officers.
- HPFAS Part-1 & Part-II Training.
- On line Training Programme
- Specialized Training Programme (Office Procedure & Financial Administration, Disciplinary Proceedings & CCS Conduct Rules and Noting & Drafting.
- Demand based Customized Trainings for other States/Organizations.
- Govt. of India (SCTP) Training Programme
- Training on RTI Act, 2005 and H.P. Public Service Guarantee Act,2011
- Training in Disaster Management
- Sevottam Training Programme
- Seminars / Workshops/ Conferences
- Information Technology relating Trainings.
- Training Programmes organized in RTCs/DTCs
- Publication of Administrative Development, A journal of HIPA.
- Publication of Online e-newsletter of HIPA, Fairlawn Updates.
- Preparation of Course Modules, Training Manuals and Reading Material.

II. Courses organized during the 2022-23

During the financial year 2022-23, emphasis was laid on organizing training courses on subjects which enhance productive capacities of the employees.

Besides, training was also organized on the emerging governance issues as well on themes having direct relevance to the job profile of employees at cutting edge level. The summary of details of the courses conducted at HIPA Campus and Regional/District Training Centres (RTCs/DTCs) is as follows:-

Sr.No.	Title of the Course	No. of Courses	No. of participants	Mandays
A.	Institutional/ Foundational Programmes Professional/ Training	3	48	5190
B.	State Training Programme			
1.	Office Management Training Programmes	30	761	2917
2.	Communication & Presentation Skills	1	11	33
3.	Right to Information Act, 2005 and Public Service Guarantee Act,2011	9	167	334
C.	Govt. of India, DoPT sponsored Courses	4	65	195
D.	Department Specific (Paid Programmes)	49	1554	8252
E.	IT Courses (Computer Training Programmes)	29	583	1262
F.	Induction training programmes	5	174	1818
G.	Courses under Disaster Management Centre	5	199	703
H.	Seminars/Conferences/Workshops	24	1134	1824
I.	RTCs/DTCs (Mandi, Chamba, Nahan & Dharamshala)	47	807	2665
	Total	206	5503	25193

III. Category wise detail of courses organized during 2022-2023

A. Institutional/Foundation/Professional Training Programmes

Sr. No.	Title of the course	No. of courses	No. of participants	Mandays
1.	Institutional Training for IAS(Probationer) 2021	1	3	60
2.	Foundation Course for HAS and Allied Services Officers	1	15	540
3.	Training Programme of Finance & Accounts Services (HPF&AS Part-I)	1	30	4590
	Total	3	48	5190

B. State Training Programmes:

1. Office Management Training Programmes

Sr. No.	Particulars	No. of Courses	No. of Participants	Mandays
1.	Office Procedure and Financial Administration	12	342	1710
2.	Disciplinary Proceedings / Conduct Rules / Departmental Enquiry	10	210	639
3.	Noting and Drafting	8	209	568
	Total	30	761	2917

2. Communication & Presentation Skills

Sr. No.	Particulars	No. of Courses	No. of Participants	Mandays
1.	Communication & Presentation Skills	1	11	33

3. Training Programmes on RTI Act, 2005 and H.P. Public Service Guarantee Act, 2011

Sr. No.	Particular	No. of Courses	No. of Participants	Mandays
1.	Right to Information Act, 2005 and Public Service Guarantee Act, 2011	9	167	334

C. Govt. of India, DoPT sponsored training programmes

Sr. No.	Particulars	No. of Courses	No. of Participants	Mandays
---------	-------------	----------------	---------------------	---------

1.	Essential Life Skills	1	20	60
2.	Leadership and Team Building for Effective Service Delivery	1	15	45
3.	Time Management and Stress Management	1	15	45
4.	Positive Attitude and Progressive Thinking	1	15	45
Total		4	65	195

D. Department Specific (Paid) Programmes

Sr. No.	Particular	No. of Courses	No. of Participants	Mandays
1.	Training Programme of Finance & Accounts Services (SAS Part-II) HRTC	1	11	1606
2.	Office Procedure and Financial Administration	1	23	69
3.	Office Procedure and Financial Administration	1	22	66
4.	Refresher course for Stenographer, PS & SPS	1	19	95
5.	Strengthening Drug Law Enforcement Capacities in South Asia	1	57	285
6.	Induction Training of AAOs	1	37	185
7.	Refresher Course for ATMA Functionaries	1	29	87
8.	Office Procedure and Financial Administration	1	24	120
9.	Refresher Course for Administrative Personner, PS & SPS	1	20	100
10.	Training-cum-Study Tour of Officers of Bihar Election Service	1	43	129
11.	Office Procedure and Financial Administration (Technical Education)	1	19	95

12.	Noting and Drafting (HPCDP JICA-ODA)	1	39	117
13.	Office Procedure and Financial Administration (Technical Education)	1	13	65
14.	Office Procedure and Financial Administration (Technical Education)	1	17	85
15.	Stay Healthy and Stress Management	1	13	39
16.	Contract Management System/JJM	1	55	110
17.	Certification Programme for ROs & AROs	1	83	332
18.	Stay Healthy and Stress Management	1	14	42
19.	Capacity Building for Teacher Educator under SSA	1	38	190
20.	Induction and Refresher Programme for JAs of NICF	1	21	105
21.	Capacity Building for Teacher Educator under SSA	1	38	190
22.	Office Procedure and Financial Administration	1	25	125
23.	Capacity Building for Teacher Educator under SSA	1	29	145
24.	Office Procedure and Financial Administration	1	33	99
25.	Office Procedure and Financial Administration	1	18	90
26.	Capacity Building for Teacher Educator under SSA	1	41	205
27.	Induction and Refresher Programme for JAs of NICF	1	20	100
28.	Capacity Building for Teacher Educator under SSA	1	28	140
29.	Noting & Drafting and Stress Management	1	36	72

30.	Life Skill Mindfulness Curriculum Development	1	35	175
31.	Induction Training of AAOs	1	42	210
32.	Induction & Exposure for LDCs	1	25	125
33.	Life Skills Mindfulness Curriculum Development	1	30	146
34.	Technology Enablement-cum-Leadership	1	26	130
35.	Refresher Training for NIC	1	35	210
36.	Training-cum-Exposure Tour for BDO of UT Ladakh	1	17	68
37.	Training-cum-Study Tour of Trainee Officers of Bihar	1	58	348
38.	Training-cum-Study Tour of Trainee Officers of Bihar	1	59	354
39.	Technology Enablement-cum-Leadership	1	36	180
40.	Training-cum-Study Tour of Trainee Officers of Bihar	1	54	324
41.	All India TDP on Mobile App. Development	01	31	186
42.	Manav Sampda	02	42	110
43.	Course on Orthopedic Surgery	01	45	135
44.	PFMS	01	27	54
45.	Applied Geo Spatial Technologies	01	41	123
46.	IT for Effective office Management	01	24	72
47.	GeM & E-Procurement	02	62	214
Total		49	1554	8252

E. I T Courses (Computer Training Programmes)

Sr. No.	Particular	No. of Courses	No. of Participants	Mandays
1.	Manav Sampda	05	135	270
2.	E-Procurement & GeM	04	82	164
3.	Computer Course on Power Point	03	48	96
4.	Computer Course on Excel	03	39	78
5.	Basic Computer Course	07	131	393
6.	Training Programme on IFMS	02	35	35
7.	Samgre e- Samadhan	01	15	30
8.	Cyber and Network	01	15	30
9.	e-Governance	01	17	34
10.	Training Programme on RMS	02	66	132
	Total	29	583	1262

F. Induction Training Programmes

Sr. No.	Particular	No. of Courses	No. of Participants	Mandays
1.	Induction Training Programme	01	50	600
2.	Essential of Cyber Security of Public Office	01	15	45
3.	E-Procurement & GeM	01	15	45
4.	Induction Training Programme (Revenue)	01	54	648
5.	Induction Training Programme (Health)	01	40	480
	Total	5	174	1818

G. Courses under Disaster Management Centre

Sr. No.	Particular	No. of Courses	No. of Participants	Mandays
1.	ToT on Forest Fire Risk Mitigation and Management	01	42	126
2.	ToT on Engaging Youths & Adolescents in Disaster Risk Management & Climate Change Adaption	01	53	265
3.	Strengthening of Techno Legal Regime to Ensure Structural Safety	01	12	36
4.	Gender Issues in Disaster Management	01	11	33
5.	Integrating Disaster Risk Reduction with Gram Panchayat Development Plan for Rural Development Sector	01	81	243
	Total:	5	199	703

H. Seminar/Conferences/Workshops

Sr. No.	Particular	No. of Courses	No. of Participants	Mandays
1.	GRB Training Kit Pilot & Key Research Findings	01	36	72
2.	Electoral Roll Management System	01	38	38
3.	One Day Workshop on NGDRS	01	61	61
4.	Support Review Mission	01	33	66
5.	Forest & Wildlife	01	28	28
6.	Review of Chapter Wise Workbooks	01	21	63
7.	Orientation Workshop for Driving Training Schools (HTV)	01	84	84
8.	Review of Chapter Wise Workbooks	01	19	57
9.	Road Safety	01	54	108

10.	Swachh Bharat Mission (Gramin)	01	43	86
11.	Swachh Bharat Mission (Gramin)	01	39	78
12.	Sensitization and Capacity Building on Solid Waste Management	01	58	58
13.	Menstrual Hygiene Management	01	79	158
14.	Transitioning to E-Mobility	01	74	74
15.	Forest and wildlife Conservation	01	64	64
16.	Price Monitoring	01	37	37
17.	Road Safety	01	35	70
18.	Swachh Bharat Mission (Gramin)	01	86	172
19.	Road Safety	01	51	102
20.	Gender Responsive Budgeting Training	01	35	70
21.	Gender Responsive Budgeting Training	01	35	70
22.	Environmental Management & Pollution Control	01	48	96
23.	Rajbhasha Sammelan	01	52	104
24.	WDC-PMKSY	01	40	40
Total		24	1150	1856

I. Courses conducted at RTCs (Mandi, Nahan, Chamba, Dharamshala)

Sr. No.	RTC/DTC	No. of Courses	No. of Participants	Mandays
1.	Mandi	11	172	597
2.	Chamba	6	99	297
3.	Nahan	12	138	325
4.	Dharamshala	18	398	1446
Total		47	807	2665

IV. IMPLEMENTATION OF RTI ACT

The Government of India has enacted the “Right to Information Act,2005” to provide information to citizens and ensure transparency. During the year 2022-2023 the following Officer/Official of HIPA were authorities under the statute.

Sr. No.	Name and designation	Designated Authority as per provisions of the Act	Tel. No.	Mobile No
1.	Sh. Rugved Thakur, IAS Director	Appellate Authority	2734777	-
2.	Sh. Vikas Gupta, HPF&AS Joint Controller	Public Information Officer	-	70184-59071

The details of applications / appeals under RTI during the year 2022-23 is as under:

Total Number of Applications received	70
Information provided	68
Application rejected	2
Application received for inspection	-
Appeals preferred before the First Appellate Authority	19
Second appeals before the State Information Commission	7
Amount received on account of applications/ additional fee/ Inspection fee	3636/-

Social Impact Assessment Unit at HIPA

The activities undertaken by the Social Impact Assessment Unit during 01-04-2022 to 31-03-2023 are as under:

Sr. No.	Name of Project	Date of Receipt	Date of submission of Terms of Reference	Date of Notification by State Govt.	Date of submission of Final Report
1.	Construction of International Airport Mandi HP.	30-04-2022	25.05.2022	Department of Tourism & CA issued Notification on 30.09.2022	Final SIA Report is submitted to Govt. of HP by this office on 31.03.2023

2.	Sunni Dam HEP (382 MW)	Received to this office 01-11-2022	Submitted to AD for notification and deposit SIA fees to SIAU Account by acquiring body.		
3.	Rupin HEP (45 MW)	Received to this office 10-08-2022	Submitted to AD for notification and deposit SIA fees to SIAU Account by acquiring body.		
4.	New OPD Block IGMC, Shimla	Received to this office 14-11-2022	Submitted to AD for notification and deposit SIA fees to SIAU Account by acquiring body.		
5.	Double lane Bridge over Sal nallah on Chamba-Sahoo-Kiri road in District Chamba	Received to this office 23-05-2022	Submitted to AD for notification and deposit SIA fees to SIAU Account by acquiring body.		
6.	Post office building Mashobra Shimla (R)	Received to this office 27-01-2023	Submitted to AD for notification and deposit SIA fees to SIAU Account by acquiring body on 15-02-2023.	Revenue Department issued Notification on 27-03-2023	Final SIA Report is submitted to Govt. of HP by this office on 31.05.2023
7.	Expansion of Kangra Airport	Received to this office 14-02-2023	Submitted to AD for notification and deposit SIA fees to SIAU Account by acquiring body on 15-02-2023.	Department of Tourism & CA issued Notification on 15.02.2023	Final SIA Report is submit by SR Asia to this office on 24.04.2023

BOARD OF DEPARTMENTAL EXAMINATION

During the year 2022-2023, Departmental Examinations have been conducted for the following categories of Officers/ Officials in the month of September, 2022 session. The number of officers/officials who applied for the examination, who appeared in the exam and the pass percentage of the candidates is shown in the table below:-

Sr No.	Categories	No. of Officers/ officials applied	No. of officers/ officials appeared
		9/2022	9/2022
1.	IAS	03	03
2.	HAS	19	16
3.	Tehsildars/Naib-Tehsildars	602	406
4.	IFS/HPFS Officers & other Go's/ NGO of the State Government (Technical/ Non-Technical)	1878	1315
5.	Excise & Taxation Inspectors of Excise & Taxation Deptt.	42	27
6.	H.P.S.E.B.	54	45
7.	H.P.Board of School Education	14	09
8.	H.P.TourismDev.Corp.Ltd.	02	01
9.	Kanuago/ Patwaris	418	303
10	HRTC SAS Part – II	11	11
	Total:-	3043	2136

As per Notification No. Per (Trg.) E (3)1/96, dated 20-10-1998, the Board of Departmental Examination has re-evaluated the answer sheets of the following categories of candidates who had applied for the re-evaluation of the Departmental Examination securing 40% and above but less than 50% pass Marks held in the month of September, 2022.

Sr. No.	Categories	No. of Officers/ Officials applied for re- evaluation
1.	HAS	01
2.	Excise and Taxation Inspectors	03
3.	Tehsildars/ Naib- Tehsildars	53
4.	Kanuago/Patwaris	34
5.	IFS/ HPFS Officer Officer and other Gazetted/ Non- Gazetted Officers of State Government (Technical/ Non- Technical)	107
Total:-		198

विषय सूची

विषय सूची		
अध्याय- 1	संस्थान	पृष्ठ
	• इतिहास और पृष्ठभूमि	1
	• लक्ष्य एवं उद्देश्य	1
	• संगठनात्मक संरचना	2
	• अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थिति	3
	• प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान	4
	• आपदा प्रबंधन केंद्र	5
	• आपदा प्रबंधन केंद्र के उद्देश्य एवं कार्य	5
	• प्रबंधन अध्ययन केंद्र	6
	• शासन परिषद	7
	• विभागीय परीक्षा बोर्ड	7
	• सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई	8
	• सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन इकाई का कार्य एवं वित्त पोषण	8-10
	• सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए संसाधन भागीदारों और व्यवसायियों का मनोनयन	11
• बजट आवंटन एवं व्यय	12	
अध्याय- 2	प्रशिक्षण बुनियादी ढांचा	
	• आवास एवं भोजनालय	15
	• हिपा हॉस्पिटैलिटी सोसायटी	15
	• कल्पतरु : अतिरिक्त भवन	16
	• सभागार ब्लॉक	16
	• पुस्तकालय	16
	• खेल व्यायाम केंद्र	17
	• परिवहन सुविधाएं	17
	• वेबसाइट	18
अध्याय- 3	प्रगति एवं उपलब्धियां	19
	• प्रशिक्षण गतिविधियाँ	20
	• 2022-23 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	20
	• वर्ष 2022-2023 के दौरान आयोजित पाठ्यक्रमों का श्रेणीवार विवरण	21
	• संस्थागत /व्यावसायिक/मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	21
	• राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम	22

• कार्यालय प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम	22
• संचार एवं प्रस्तुति कौशल	22
• आरटीआई अधिनियम, और 2005हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	22
• कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग/सरकार द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	23
• विभाग विशिष्टकार्यक्रम (भुगतान)	23
• आईटी पाठ्यक्रम(कार्यक्रम प्रशिक्षण कंप्यूटर)	26
• प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	26
• आपदा प्रबंधन केंद्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम	27
• विभिन्न विषयों पर संगोष्ठीकार्यशालाएँ/सम्मेलन/	27
• क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र मंडी, नाहन, चंबा, धरकार्यक्रम प्रशिक्षण आयोजित में	28
• सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन	29
• हिपा में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन इकाई	30
• विभागीय परीक्षा बोर्ड	31

अध्याय - 1 संस्थान

1. इतिहास एवं पृष्ठ भूमि

हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान जिसे हिपा के रूप में जाना जाता है, 1 जनवरी, 1974 को शिमला के फेयरलॉन में स्थापित किया गया था। यह भव्य लॉन के साथ शांत एवं सुरम्य वातावरण में स्थित है। इमारत का निर्माण मूल रूप से ब्रिटिश भारत के विदेशी कार्यालय अधिकारी श्री आर.डिक्सन द्वारा किया गया। यह बाद में नवाब मुजफ्फर अली खान क़िज़लबाश द्वारा ले लिया गया और वर्ष 1947 में बंटवारे के बाद उनके पाकिस्तान जाने के उपरान्त यह पंजाब सरकार द्वारा सर्कट हाऊस (परिधि गृह) के रूप में परिवर्तित किया गया। नवम्बर, 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के समय समस्त भवन एवं अन्य सम्पत्ति हिमाचल प्रदेश सरकार को हस्तांतरित की गई जिसे बाद में राज्य प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए चयनित किया गया। यह संस्थान प्रशिक्षण एवं विदेशी समनुदेशन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा से अधिकारी निदेशक के पद पर संस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं। विभिन्न विभागों की प्रशिक्षण सम्बन्धी मांग में समय-समय पर वृद्धि हो रही है। सरकार द्वारा प्रशिक्षण की आवश्यकता की हर स्तर पर पूर्ति हेतु हिपा को इसके विस्तार के लिए अधिकृत किया गया है। वर्ष 1982 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के उपरान्त हिपा में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई। संस्थान को पिछले कई वर्षों से हि.प्र. वित्त एवं लेखा सेवा के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संस्थान में वर्ष 2008 से आपदा प्रबन्धन केन्द्र भी कार्यरत है। हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड भी इस संस्थान में स्थापित है। राज्य सरकार ने निदेशक हिपा कि अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और स्थानांतरण (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) नियम, 2015 के तहत उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता के प्रावधानों के अनुसार राज्य में इस संस्था की पहचान एक स्वतंत्र इकाई/अभिकरण के रूप में की है।


2. लक्ष्य एवं उद्देश्य

यह संस्थान बहुउद्देशीय संगठन के रूप में राज्य का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी स्तरों पर सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण तथा उन्हें अपने काम में सुधार लाने में सहायता करना है ताकि लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर बेहतर हो सके। इस संस्थान में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, विभागीय परीक्षा बोर्ड व सामाजिक प्रभाव आंकलन इकाई स्थापित है। यह संस्थान राज्य के अधिकारियों को इस उद्देश्य के साथ प्रशिक्षण प्रदान करता है, ताकि वे अपने कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को समझते हुए प्रतिबद्धता और उपयुक्त कौशल के साथ अपनी सेवा प्रदान कर सकें। शिमला में अपना परिसर होने के अलावा, संस्थान राज्य के जिला मुख्यालयों में अपने चार क्षेत्रीय/ जिला प्रशिक्षण केन्द्रों के

नेटवर्क के माध्यम से मंडी, धर्मशाला, चंबा और नाहन में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, जो भारत सरकार के उद्यम राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से स्थापित किए गए हैं।

3. संगठनात्मक संरचना

संस्थान का संचालन निदेशक द्वारा किया जाता है, जिन्हें संस्थान के कामकाज में कई अधिकारियों और संकाय सदस्यों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। संस्थान की संगठनात्मक संरचना इस प्रकार से है:-



- ए.टी.आई. प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान
- बी.ओ.डी.ई. विभागीय परीक्षा बोर्ड
- सा.प्र.आ.इ. सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई

अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थिति (31.03.2023 तक)

क्र.स	पद	स्वीकृत पद	भरे पद	खाली पद
1.	निदेशक	1	1	0
2.	अतिरिक्त निदेशक	1	1	0
प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान				
3.	प्रोफेसर व प्रमुख संकाय (आपदा प्रबन्धन)	1	0	1
4.	सह-आचार्य (प्रबन्धन/अर्थशास्त्र/ आपदा प्रबन्धन)	3	0	3
5.	सहायक प्राध्यापक (लोक प्रशासन/सूचना प्रौद्योगिकी)	2	2	0
6.	संयुक्त नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)	3	3	0
7.	उप-नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)	2	2	0
8.	उप-निदेशक (कोष)	1	1	0
9.	अनुसन्धान व प्रलेखन अधिकारी (आपदा प्रबन्धन)	1	0	1
10.	अधीक्षक ग्रेड-1	1	1	0
गैर राजपत्रित कर्मचारी				
11.	निजी सहायक	1	0	1
12.	अधीक्षक ग्रेड-2	3	0	3
13.	वरिष्ठ सहायक	8	1	7
14.	अनुदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी)	1	1	0
15.	प्रबन्धक (सूचना प्रौद्योगिकी)	1	0	1
16.	कनिष्ठ सहायक/लिपिक	5	5	0
17.	कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.)	9	3	6
18.	कनिष्ठ आशुलिपिक	2	2	0
19.	संगणक परिचालक (हिपा एवं आपदा प्रबन्धन)	2	1	1
20.	द्रव्य श्रव्य सहायक	1	0	1
21.	पुस्तकालय अध्यक्ष	1	0	1
22.	सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष	1	0	1
23.	अन्वेषक	4	2	2
24.	चालक	5	5	0
25.	बुक बाइंडर कम फाईल फैचर	1	1	0
26.	बावर्ची	1	0	1
27.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/कक्ष परिचारक/ चौकीदार	19	14	5
28.	माली	2	0	2
29.	सफाई कर्मचारी	3	3	0
30.	क्लीनर-सह-परिचालक	2	2	0
31.	सफाई कर्मचारी-कम-चौकीदार	1	1	0
32.	पुस्तकालय परिचारक	2	2	0
33.	प्रतिलिपि यन्त्र चालक	1	1	0

कुल:-	92	55	37

प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (ए.टी.आई.)

हिमाचल प्रदेश सरकार (आवंटन) नियम 1971, के तहत संस्थान को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए है:-

- हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान से संबंधित सभी मामले जिसमें बजट, लेखा, स्थापना आदि शामिल हैं।
- लोक प्रशासन संस्थान में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सेमिनार और रिफ्रेशर पाठ्यक्रम तथा सेवाओं/विभागों के संबन्ध में विभागीय परीक्षाओं का संचालन, सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान को सौंपा गया।
- नियमों, नियमावली, संहिताओं आदि का संशोधन।
- लोक प्रशासन से जुड़े अनुसंधान एवं प्रकाशन।
- प्रबंधन तकनीकों में परामर्श एवं सलाहकार सेवाएं।

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त, संस्थान अपने रसद और मानव संसाधनों की पेशकश करके विभिन्न राज्य, केंद्र और अन्य संगठनों के लिए मांग संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके अलावा, यह संस्थान भारत के मंत्रालयों की विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी लगा हुआ है।

राज्य प्रशिक्षण नीति 2009 के द्वारा राज्य सरकार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए पांच वर्ष में एक बार इंडकशन और रिफ्रेशर ट्रेनिंग की परिकल्पना करती है, जिसके लिए वार्षिक बजट में धनराशि सरकारी विभागों के पास उपलब्ध है। उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत अधिकतर सरकारी विभाग अपनी प्रशिक्षण योजनाओं तथा प्रशिक्षण नियमावलियों को तैयार कर चुके हैं।

संस्थान के तत्वावधान में निम्नलिखित अनुभाग/शाखाएं कार्य कर रही है:-

आपदा प्रबंधन केंद्र

आपदा प्रबंधन केंद्र लोक प्रशासन संस्थान फेयरलॉन शिमला की स्थापना वर्ष 2009 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दर्शाए गए आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने तथा विभिन्न पक्षों में जागरूकता लाने और क्षमता विकास के उद्देश्यों से की गई। स्थापना के उपरांत से यह केंद्र विभिन्न खतरों के विविध पहलुओं से निपटने के लिए हितधारकों की क्षमता बढ़ाने में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। आपदा प्रबंधन केंद्र ने अपनी गतिविधियों को पूर्व-आपदा जोखिम में कमी के साथ-साथ आपदा वसूली और आपदा चक्र के पुनर्वास पहलुओं को संबोधित करने के लिए उन्मुख किया है। यह केंद्र राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों, पंचायती राज संस्थानों, शहरी व स्थानीय निकायों, सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों के महिला/युवक मंडलों के प्रतिनिधियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में आपदा प्रबंधन केंद्र, हिमा ने विभिन्न विषयों पर 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिन में कुल प्रतिभागी 199 और 703 प्रशिक्षण मानव दिवस सृजित किए हैं। आपदा प्रबंधन केंद्र का प्रयास रहा है कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों का आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास है। इसी कड़ी में वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्र द्वारा विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं जैसे कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित निर्माण प्रक्रियों, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, त्वरित दुर्घटना-प्रतिक्रियाओं सम्बन्धी मुद्दों को सम्बोधित किया गया।

आपदा प्रबंधन केंद्र के उद्देश्य एवं कार्य

- आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जागरूकता एवं ज्ञान का प्रसार करना।
- आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं से निपटने के लिए सभी हितधारकों का व्यापक क्षमता निर्माण करवाना।
- आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया एवं कार्यवाही में सुधार लाकर राज्य के लोगों की जान बचाना।
- आपदा प्रबंधन में लगे कार्यकर्ताओं की क्षमता व कुशलता के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करना।
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) द्वारा समय-

समय पर जारी की गई महत्वपूर्ण अवधारणाओं, नीतियों एवं निर्देशों की जानकारी देना तथा उनका प्रसार करना।

- आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की अनुपालना करते हुए राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामों की तैयारी, परिश्रमन व तुरंत कार्यवाही सम्बन्धी पहल को लेकर क्षमता का विकास करवाना।

प्रबंधन अध्ययन केंद्र

हि.प्र. सरकार कार्यकलाप (आवंटन) नियम 1971, (31.03.2010 तक संशोधित) इस संस्थान द्वारा प्रबंधन अध्ययन केंद्र के तहत निम्नलिखित कार्य का भी निर्वहन किया जा रहा है।

1. लोक प्रशासन से जुड़े अनुसंधान एवं प्रकाशन।
2. प्रबंधन तकनीक में परामर्श और सलाह सेवाएं।

प्रबन्धन अध्ययन केन्द्र एक सोसायटी है, जोकि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है। यह केन्द्र 19 अगस्त 1989 को स्थापित किया गया था। सोसायटी का पंजीकृत कार्यालय हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में है। वर्तमान में यह सोसायटी हिपा फेयरलान्ज, शिमला-171012 में स्थित है। सोसायटी को प्रबन्धन अध्ययन केन्द्र से जाना जाता है। जिसका उद्देश्य अध्ययन एवं शोध करना है, तथा यह परिषद प्रबन्धन की शिक्षा के लिए समर्पित है। इसके निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं:

1. विभिन्न प्रबन्ध प्रणालियों के अन्तर्गत विशेष रूप से वित्तीय प्रशासन व अनुसंधान के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सहायता करना एवं आयोजित करना है।
2. प्रबन्धन पद्धतियों एवं व्यवहार के क्षेत्र में ज्ञान का विस्तार करने के लिए अध्ययन प्रदान करना है।
3. प्रबन्धन पद्धती के क्षेत्र में अनुसंधान व उनके हित में सहायता प्रदान करना है।
4. प्रबन्धन क्षेत्र के व्यक्तियों तथा संगठनों को व्यवसायिक सहायता प्रदान करना है।
5. प्रबन्धन पद्धति के क्षेत्र में व्यवसायों की प्रगति के लिए सहायता प्रदान करना है।
6. इस तरह की अन्य गतिविधियों को करने के लिए और इस तरह की अन्य संरचनाओं, संस्थाओं और संगठनों को बनाने के लिए जो आवश्यक हो या उपर्युक्त उद्देश्य की बेहतर प्राप्ति के लिए अनुकूल हो सकते हैं।

शासन परिषद

इसके सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश	अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य
3. सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य
4. सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य
5. सचिव (सिचाई एव जन-स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य
6. सचिव (प्रशिक्षण), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य
7. सचिव (ग्रामीण विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य
8. सचिव (लोक निर्माण), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य
9. प्रोफ़ेसर एवं प्रमुख (व्यवसाय प्रबन्धन विभाग), हि.प्र. विश्वविद्यालय	सदस्य
10. निदेशक, हि.प्र. लोक प्रशासन संस्थान	सदस्य सचिव

विभागीय परीक्षा बोर्ड

हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम 1976 की अधिसूचना हि.प्र. लोक सेवा आयोग के अनुमोदन से अधिसूचना संख्या HIPA(ExAM)12/75 दिनांक 23.03.1976 के अनुसार विभागीय परीक्षाएं हि.प्र. सरकार द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यकुशलता में सुधार लाने के ध्येय से आयोजित की जा रही हैं। विभागीय परीक्षा आगामी प्रवीणता वेतन वृद्धि/उच्चतर वेतनमान, परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर सेवा में स्थाईकरण और आगामी उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए निम्न वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी सेवाकाल में एक बार उत्तीर्ण करना अनिवार्य है:-

1.	भारतीय प्रशासनिक सेवा/हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा
2.	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार
3.	भारतीय वन सेवा/हिमाचल वन सेवा तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य सभी राजपत्रित अधिकारी (तकनीकी/गैर तकनीकी)

हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसार उपरोक्त वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ हि.प्र. पर्यटन निगम के अधिकारियों, विद्युत बोर्ड के अभियन्ताओं एवं स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड द्वारा साधारणतः वर्ष में दो बार आयोजित की जाती हैं।

इन परीक्षाओं के अतिरिक्त आबकारी व कराधान विभाग में कार्यरत आबकारी व कराधान निरीक्षक नियम, 1978 के अंतर्गत भी विभागीय परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है।

सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई

राज्य सरकार को एक स्वतंत्र संगठन की पहचान करने या स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक निकाय के अलावा ऐसे व्यक्तियों या निकायों द्वारा सामाजिक प्रभाव आकलन संचालित किया जाता है।

राजस्व विभाग ने अधिसूचना संख्या REV.B.A(3)-3/2014-VOL.II दिनांक 27.11.2015 के तहत नियमों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत के संविधान अनुच्छेद 348 के खंड (3) के तहत इस संस्थान में एक स्वतंत्र संगठन, सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई का गठन किया है।

सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई का गठन

हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सहमति) नियम, 2015 के तहत उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता के प्रावधानों के अनुसार राज्य में इस संस्था की पहचान एक स्वतंत्र अभिकरण के रूप में की है, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश द्वारा सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई का गठन निम्न प्रकार से अधिसूचित किया है:-

क्र. सं.	पद	विभाग	उत्तरदायित्व
1.	निदेशक	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, शिमला	अध्यक्ष
2.	प्रभारी	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान हिपा, शिमला	सदस्य
3.	अध्यक्ष	समाज शास्त्र एवं सामाजिक कार्य हिमाचल प्रदेश विश्व विद्यालय, शिमला	सदस्य
4.	मुख्य वैज्ञानिक	पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान, शिमला	सदस्य

सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई की स्थापना नियमों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक स्वतंत्र संगठन के रूप में की गई है (हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सहमति) नियम, 2015 अधिग्रहण करने वाला विभाग दो वरिष्ठ सहायको तथा एक चतुर्थ श्रेणी

कर्मचारी को सम्बन्धित सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई प्रशासनिक कार्य के लिए उपलब्ध करवायेगा।

कार्य

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई निम्नलिखित कार्यों को करेगी, अर्थात:-

- क. अर्हित सामाजिक समाघात निर्धारण स्त्रोत भागीदारों और व्यवसायियों का एक डेटाबेस तैयार करेगी और उसका सतत् रूप से विस्तार करेगी, जो कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण संचालित करने के लिए अपेक्षित कौशलों और क्षमताओं के व्यष्टियों और संस्थानों के नेटवर्क के रूप में कार्य करेगा।
- ख. परियोजना विनिर्दिष्ट निर्देश-निबंधन तैयार करके सामाजिक समाघात निर्धारण द्वारा संचालित किए जाने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर तुरंत कार्रवाई करेगी।
- ग. सामाजिक समाघात निर्धारण दल (टीम) और सामुदायिक सर्वेक्षकों के लिए प्रशिक्षण और सक्षमतावर्धन कार्यक्रमों का संचालन करेगी तथा विश्लेषण के लिए अपेक्षित मैनुअलों, औजारों, तुलनात्मक मामला अध्ययन रिपोर्टों और अन्य सामग्रियों को उपलब्ध करवाएगी।
- घ. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के दौरान यथा अपेक्षित सतत् सहायता और सुधारात्मक कार्रवाई का उपबंध करेगी।
- ङ. यह सुनिश्चित करेगी कि नियम 13 में यथा विनिर्दिष्ट भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्स्थापन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण और प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए संव्यवहार आधारित वेब आधारित वर्कफ्लो को बनाए रखा गया है तथा सभी सुसंगत दस्तावेजों का अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रकटन किया गया है।
- च. सभी सामाजिक समाघात निर्धारणों और सहबद्ध प्राइमरी सामग्रियों के कैटालॉग को बनाए रखेगी।
- छ. सामाजिक समाघात निर्धारणों और संपूर्ण राज्य में उसके संचालन के लिए उपलब्ध सक्षमताओं के लिए गुणवत्ता का लगातार पुनरीक्षण करेगी, मुल्यांकन करेगी और उसको सुदृढ बनाएगी।

वित्तपोषण

सामाजिक प्रभाव आकलन शुल्क का 10 प्रतिशत सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई को प्रशासनिक खर्चों के लिए दिया जाता है जिसका उपयोग विचारार्थ विषय तथा सामाजिक प्रभाव आकलन शुल्क की रिपोर्ट के लिए किया जाता है।

सामाजिक प्रभाव आकलन

सामाजिक समाघात निर्धारण दल का गठन सामाजिक समाघात निर्धारण संचालन का या संबंधित फील्ड आधारित निर्धारण अनुभव रखने वाले व्यक्तियों संगठनों की नियुक्ति करके किया जाएगा और दल में स्वतंत्र व्यवसायियों, अर्हित सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों का संयोजन, जो प्रत्यक्ष रूप से अपेक्षित निकाय के साथ संबंधित नहीं है और उनमें से कम से कम एक महिला सदस्य शामिल हो सकेगी। सामाजिक समाघात निर्धारण दल के आकार और चयन के मापदंड राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई द्वारा विकसित निर्देश-निबंधन विनिर्दिष्ट परियोजना के अनुसार होंगे। सामाजिक समाघात निर्धारण दल में से सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई के साथ निर्धारण अवधि के दौरान संपर्क करने के लिए एक दल नेता की नियुक्ति की जाएगी।

सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए संसाधन भागीदारों और व्यवसायियों का मनोनयन

सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई, सामाजिक प्रभाव आकलन की परियोजना, जहां राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सहमति) नियम, 2015 के आधार पर भूमि अर्जित करने के लिए संस्थानों तथा व्यक्तियों से प्रार्थना पत्रों के माध्यम से योग्य दागीदारों और व्यवसायियों का मनोनयन करता है जिसके लिए अर्हित सामाजिक समाघात निर्धारण स्रोत भागीदारों और व्यवसायियों का एक डेटाबेस तैयार करेगी और उसका सतत् रूप से विस्तार करेगी, जो कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण संचालित करने के लिए अपेक्षित कौशलों और क्षमताओं के व्यष्टियों और संस्थानों के नेटवर्क के रूप में कार्य करेगा।

मूल्यांकन समिति द्वारा मनोनित योग्य भागीदारों/व्यवसायियों की जांच रिपोर्ट विचारार्थ प्रस्तुत की जाती है। जिन संस्थानों की सूचना और सहायक दस्तावेज पात्र मापदण्डों के अनुसार ठीक पाए जाते हैं, की सिफारिश उचित नियमानुसार करेगी। संस्थानों की रिपोर्ट तथा दस्तावेजों की उचित जांच/परिक्षण के आधार पर मनोनयन किया जाता है। मूल्यांकन अवधि के दौरान एसआईएयू के साथ संपर्क के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन टीम के सदस्यों में से एक टीम लीडर नियुक्त किया जाना चाहिए।

एसआईएयू यह सुनिश्चित करने के लिए टीम के सभी सदस्यों से आवश्यक शपथ पत्र भी लेगा कि संबंधित परियोजना का आकलन करने के लिए नियुक्त टीम के सदस्यों के हितों का कोई टकराव नहीं है और साथ ही उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को आवश्यकता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ नहीं मिलेगा। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन टीम के सदस्यों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का संचालन करें और विश्लेषण के लिए आवश्यक मैनुअल, उपकरण तुलनात्मक केस अध्ययन रिपोर्ट और अन्य सामग्री उपलब्ध कराएं।

अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थिति

सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई की सहायता के लिए निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी है:-

1. सदस्य सचिव

2. तहसीलदार
3. कार्यालय सहायक
4. चपरासी

बजट आवंटन एवं व्यय

संस्थान के वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट आवंटन तथा व्यय का ब्यौरा योजना/गैर योजना शीर्ष के अन्तर्गत निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाया गया है:-

01-आईएस गैर योजना

क्र.स.	उप-लेखा शीर्ष	कुल आवंटन (रु.)	व्यय	प्रतिशत ता
1.	2070-00-003-01 आईएस गैर योजना			
	01-वेतन	1,43,44,000	1,43,21,718	100%
	03-यात्रा व्यय	7,49,000	7,27,844	97%
	05-कार्यालय व्यय	5,93,000	5,92,461	100%
	06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1,03,000	86,232	84%
	10-अतिथि एवं मनोरंजन	11,000	3,275	30%
	12-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	29,00,000	29,00,000	100%
	15-प्रशिक्षण व्यय	1,56,000	1,55,900	100%
	20-अन्य प्रभार	8,00,000	7,65,904	96%
	27-मोटर वाहन (खरीद)	1,000	0	0
	30-मोटर वाहन व्यय	5,47,000	3,59,137	66%
	33-सामग्री एवं सम्भरण	11,000	5,100	46%
	64-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3,26,000	3,25,120	100%
	कुल योग	2,05,41,000	2,02,42,691	98%

02- एच.ए.एस.गैर योजना

क्र.स.	उप-लेखाशीर्ष	कुल आवंटन (रु.)	व्यय	प्रतिशत ता
2.	2070-00-003-02 एच.ए.एस. गैर योजना			
	01-वेतन	1,00,01,000	1,04,59,132	100%
	03-यात्रा व्यय	3,83,000	2,70,728	71%
	05-कार्यालय व्यय	20,000	20,000	100%
	06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	70,000	69,633	99%
	15-प्रशिक्षण	2,00,000	1,99,355	99%
	20-अन्य प्रभार	8,000	4,484	56%

	कुल योग	1,06,82,000	1,10,23,332	100%
--	---------	-------------	-------------	------

03-हिपा गैर योजना

क्र.स.	उप- लेखा शीर्ष	कुल आवंटन(रु.)	व्यय	प्रतिशतता
3.	2070-00-003-03 हिपा गैर योजना			
	01-वेतन	3,68,57,000	3,58,59,637	97%
	02-मजदूरी	6,00,000	45,900	8%
	03-यात्रा व्यय	2,09,000	36,770	18%
	05-कार्यालय व्यय	3,56,000	3,38,803	95%
	06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	3,11,000	3,10,784	100%
	07-किराया कर एवम उपकर	3,06,000	3,05,250	100%
	15-प्रशिक्षण	1,39,000	1,37,661	99%
	27-मोटर व्हीकल (खरीद)	9,10,000	9,00,349	99%
	30-मोटर व्हीकल	8,90,000	8,70,146	98%
	64-स्थान्तरण यात्रा व्यय	8,000	7,353	92%
	65-आउटसोर्सिंग प्रभार	14,84,000	14,80,240	100%
	कुलयोग	4,20,70,000	4,02,92,893	97%

04. प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान ग्रामीण विकास

(केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 80:20) सी.80एन. (पी.एच.)

क्र.स.	उप-लेखा शीर्ष	कुल आवंटन(रु.)	व्यय	प्रतिशतता
1.	प्रशिक्षण खर्च	30,000,00	22,80,263	76%
	कुल योग	30,000,00	22,80,263	76%

04. प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान ग्रामीण विकास

(केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 80:20) एस.20 एन

क्र.स.	उप-लेखा शीर्ष	कुल आवंटन(रु.)	व्यय	प्रतिशतता
1.	प्रशिक्षण खर्च	8,00,000	4,86,715	61%
	कुल योग	8,00,000	4,86,715	61%

04. प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान ग्रामीण विकास

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 100 : योजना (कून)

क्र.स.	उप-लेखा शीर्ष	कुल आवंटन(रु.)	व्यय	प्रतिशतता
1.	वेतन	69,86,996	68,50,050	98%
2.	मजदूरी	1,00,000	0	0
3.	यात्रा व्यय	1,50,000	28,748	19%
4.	कार्यालय व्यय	3,50,000	3,25,956	93%
5.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1,00,000	94,239	94%
6.	मोटर व्हीकल	3,00,000	2,94,289	98%
7.	स्थान्तरण यात्रा व्यय	10,13,004	5,90,877	58%
कुल योग		90,00,000	81,84,159	91%

5. हिपा के पेशनरों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति

2235-60-800-24 (Non Plan S00N)-06

क्र.स.	उप-लेखा शीर्ष	कुल आवंटन (रु.)	व्यय	प्रतिशतता
1.	पेंशनरों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति	6,24,000	5,73,994	91%
कुल योग		6,24,000	5,73,994	91%

6. हिमाचल लोक प्रशासन के भवनों रख रखाव पर व्यय राज्य स्कीम

2059-01-053-24-(21) सून

क्र.स.	उप-लेखा शीर्ष	कुल आवंटन (रु.)	व्यय	प्रतिशतता
1.	21-रख रखाव	20,000,00	20,000,00	100%
कुल योग		20,000,00	20,000,00	100%

अध्याय - 2 प्रशिक्षण बुनियादी ढांचा

संस्थान में सुसज्जित दो कॉन्फ्रेंस हॉल हैं जिनमें क्रमशः 120 और 60 प्रतिभागियों की बैठने की क्षमता के साथ रिकॉर्डिंग सुविधाओं सहित सभी ऑडियो विजुअल सुविधाएं हैं। संस्थान में 25 से 30 प्रशिक्षणार्थियों के बैठने की क्षमता वाले सात सुसज्जित अध्ययन कक्ष हैं। सभी अध्ययन कक्ष में आधुनिक प्रशिक्षण सहायक उपकरण जैसे एलसीडी/ एलईडी स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक पोडियम कंप्यूटर, ब्हाइट बोर्ड, पब्लिक एड्रेस सिस्टम आदि हैं। संस्थान में एक आईटी केंद्र और एक आईटी लैब है। पूरा परिसर सीसीटीवी कवरेज के साथ कवर किया गया है और पूरे परिसर में वाईफाई की सुविधा है। प्रतिभागियों की सुविधा के लिए एक एटीएम और कैंटीन की भी स्थापना की गई है।

आवास एवं भोजनालय

संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए संस्थान में ठहरने के लिए अतिथि गृह की उचित व्यवस्था अनुमोदित दरों पर की गई है। संस्थान के परिसर में प्रशिक्षणार्थियों व संकाय सदस्यों के ठहरने के लिए दो होस्टल व दो अतिथि गृह की व्यवस्था है। संस्थान में आरामदायक सुविधाओं के सहित दो बिस्तरों वाले सुसज्जित 72 कमरों (अटैचड बाथरूम) की व्यवस्था है। यदि आवश्यक हो तो सहायक कर्मचारियों के उपयोग के लिए संस्थान में उपयुक्त आवास का भी प्रावधान है। बाहर से आने वाले अतिथि संकाय सदस्यों के लिए संस्थान में भोजन तथा आवास की व्यवस्था निशुल्क प्रदान की जाती है।

हिमा हॉस्पिटैलिटी सोसाइटी

हिमा हॉस्पिटैलिटी सोसाइटी का गठन और पंजीकरण 1 दिसंबर, 1993 को हिमाचल प्रदेश सहकारी सभा अधिनियम 1968 (1969 की अधिनियम संख्या-3) के अंतर्गत किया गया था। सोसाइटी संस्थान में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भोजन अथवा आवास की व्यवस्था कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने संस्थान के पक्ष में राज्य पर बिना किसी

अतिरिक्त बोझ के, आवासों तथा अतिथी गृहों का प्रबंधन सोसाइटी के द्वारा करने की अनुमति दे रखी है। सोसाइटी आवास तथा भोजन की सुविधा के लिए समय-समय पर अनुमोदित/संशोधित दरों पर शुल्क लेती है। कार्यालय परिसर का रखरखाव, विशेष रूप से भोजन, आवास और प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का रखरखाव एचएचसीएस द्वारा किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, सोसाइटी प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण तथा अन्य सामग्री की खरीदारी भी करती है। सोसाइटी द्वारा 24 कर्मचारियों के द्वारा दो प्रशिक्षु आवासों (85 कमरों), दो अतिथी गृहों (9 सैटों) तथा एक समय में लगभग 200 प्रशिक्षणार्थियों के भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। रसोई तथा आवासों की समयबद्ध संचालन/रखरखाव की व्यवस्था भी प्रभावशाली रूप में की जाती है। दक्षता और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, रसोईघर में स्वाचलित रोटी मेकर तथा लोई बनाने की मशीन स्थापित की गई है।

कल्पतरू: अतिरिक्त भवन

संस्थान द्वारा एक नया बहुउद्देशीय 4 मंजिला भवन 'कल्पतरू' जिसमें नई कक्षाओं और अतिथि कमरों का निर्माण किया गया है। इस भवन में दो अध्ययन कक्ष स्टेट ऑफ आर्ट आधुनिक फर्नीचर के साथ शिक्षण उपकरण, 2 संकाय कार्यालय कक्ष, 6 अतिथि कक्ष, डोरमैट्री और एक बहुउद्देशीय हाल का निर्माण किया गया है। इस भवन को लिफ्ट और रैंप की सुविधाओं के साथ दिव्यांग अनुकूल बनाया गया है। इसे संस्थान के प्रशिक्षण मानकों और क्षमता में अधिक सुधार के दृष्टिगत निर्मित किया गया है।

सभागार ब्लॉक

विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों को आयोजित करने के लिए संस्थान में सभागार की आवश्यकता है। इस आशय का प्रस्ताव संस्थान के पास उपलब्ध भूमि पर भवन के लिए तैयार किया गया था। सभी कोडल औपचारिकताओं और आवश्यक अनुमोदनों को अंतिम रूप दे दिया गया है और साइट पर काम शुरू कर दिया गया है और पूरा होने के करीब है। प्रस्तावित सभागार 200 क्षमता का एक नया ब्लॉक होगा। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

पुस्तकालय

संस्थान का एक सुसज्जित पुस्तकालय है जो कि संकाय सदस्यों, संस्थान के पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के प्रतिभागियों; राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी जो इस संस्थान में प्रशिक्षणार्थ होते हैं, हिपा स्टाफ सदस्यों की जरूरतों को पूरा करता है। इसके अलावा, यह समय-समय पर संस्थान में आने वाले अतिथि वक्ताओं, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और प्रशासन की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। पुस्तकालय का समय प्रातः 9.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक है। संस्थान में रहने वाले प्रशिक्षुओं और अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए यह विस्तारित समय रखा गया है। पुस्तकालय में ग्रामीण विकास, लोक प्रशासन, प्रबंधन, समाजशास्त्र, कानून, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, पंचायती राज, कथा, हिंदी साहित्य आदि सहित विभिन्न विषयों पर 46029 (31.03.2023 तक) पुस्तकें स्टॉक में हैं। पुस्तकालय में 32 पत्रिकाओं और 22 समाचारों की उपलब्धता है।

पुस्तकालय की सदस्यता सभी राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों और संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों के लिए खुली है। वर्तमान में पुस्तकालय के 1099 सदस्य हैं (31.03.2023 तक) सदस्यता शुल्क ₹. 1000/- है, जो प्रतयर्पणीय है। पुस्तकालय की पुस्तकों को पुस्तकालय साफ्टवेयर ई-ग्रन्थालय में नियमित रूप से दर्ज किया जाता है जो [HTTPS://EG4.NIC.IN/ATI/OPAC/DEFAULT.ASPX?LIB_CODE=HIPA](https://eg4.nic.in/ati/opac/default.aspx?lib_code=hipa) पर ऑनलाइन उपलब्ध है। वेबसाइट के अधिक उपयोग के लिए पुस्तकालय में इंटरनेट की सुविधा लैस 2 कंप्यूटर लगाए गए हैं। प्रशिक्षुओं और अन्य शोधार्थियों के लिए पुस्तकालय परिसर में फोटोकॉपी/लेमिनेशन की सुविधा भी उपलब्ध है।

खेल/व्यायाम परिसर

संस्थान में शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए इनडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स गेम्स की सुविधाएं उपलब्ध हैं। खेल सुविधाओं में जिमनेजियम, बिलियर्ड, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, सार्कलिंग, क्रिकेट, कैरम बोर्ड और टेबल टेनिस शामिल हैं। खेल और व्यायाम परिसर का समय प्रातः 6:00 से 8:00 बजे व सायं 5:00 से 8:00 बजे तक है।

परिवहन सुविधाएं

संस्थान में शहर से प्रतिभागियों को लाने और उन्हें वापिस छोड़ने के लिए 2 बसों की सुविधा है।

वेबसाइट

संस्थान की वेबसाइट [HTTPS://HIPASHIMLA.NIC.IN](https://HIPASHIMLA.NIC.IN) हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान के विभिन्न कार्यकलापों और संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा क्षेत्रीय जिला प्रशिक्षण केन्द्रों चम्बा, मण्डी, नाहन और धर्मशाला में भी आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना का स्त्रोत है। विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के सम्बन्ध में सूचना जैसे पुस्तकालय, मैस सुविधा, छात्रावास, खेल परिसर आदि भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित अनिवार्य जानकारी को इस वेब साइट पर होस्ट किया गया है। अधिकारियों/संकाय सदस्यों के सम्पर्क नम्बर ई-मेल सहित लोक प्रशासन संस्थान की वेबसाइट में उपलब्ध हैं। इसी वेबसाइट पर हार्डपरलिंक में अतिथि संकाय सदस्यों का विवरण भी उपलब्ध है, यदि कोई प्रवक्ता संस्थान में प्रशिक्षण देना चाहता है तो वे अपनी जानकारी पाठ्यक्रम सहित वेबसाइट सॉफ्टवेयर में दर्ज करवा सकता है। लोक प्रशासन संस्थान की वेबसाइट पर ऑनलाइन पुस्तकालय के विभिन्न विषयों पर सूचना उपलब्ध है। विभागीय परीक्षा बोर्ड की परीक्षाओं का परिणाम, अधिसूचना तथा रोल न० उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए नियमित रूप से हिपा की वेबसाइट पर डाला जाता है। वेबसाइट से जो डाटा डाउनलोड किया जा सकता है उसका विवरण निम्न है:-

- प्रशिक्षण कैलेण्डर
- विभागीय परीक्षाओं से संबंधित जानकारी जैसे पिछले वर्षों के /नमूना प्रश्न पत्र।
- प्रशिक्षण के नामांकन प्रपत्र
- पुस्तकालय के लिए सदस्यता प्राप्त हेतु सम्बन्धित फार्म
- विभागीय परीक्षा हेतु फार्म
- अध्ययन सामग्री
- विभागीय परीक्षा का परिणाम

अध्याय -3 प्रगति और उपलब्धियों

आज के समय में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी परिपेक्ष में बदलाव देखा गया है तथा राज्य इससे पृथक नहीं है। इस वजह से उपलब्ध मानव संसाधन की मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों तरह से आंकलन करना जरूरी हो गया है। यहां शायद ही उल्लेख करने की जरूरत है कि क्षमता, कौशल और राज्य सरकार के कर्मचारियों का व्यवहार उनके उत्पादन की गुणवत्ता पर एक बड़ा प्रभाव डालता है। सरकार का यह दायित्व है कि वह अपने कर्मचारियों जो लोगों के लिए राज्य सेवा निष्पादन करने के लिए प्रमुख एजेंट है की कार्य क्षमता में बढ़ावा देना सुनिश्चित करें और यह प्रयास केवल इन कर्मचारियों की सेवा में प्रवेश के समय तक ही सीमित न रहे बल्कि वे उन कर्मचारियों के पूर्ण सेवाकाल जब तक सरकारी सेवा में रहते हैं तब तक जारी रहे। प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण प्रशिक्षण मैनुअल का एक एकीकृत हिस्सा है जो मानव संसाधन के विकास के लिये संगठन की जरूरतों को सुनिश्चित करता है। प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण मानव संसाधन के उपयोग की कमजोर कड़ियों की पहचान करने के लिए होता है व मानव संसाधन की कमजोरी और ताकत की स्पष्ट तस्वीर देता है और भविष्य में इसे संगठन के लाभ के लिए कैसे सबसे अच्छे तरीके से उपयोग किया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशिक्षण नीति 2009 में स्पष्ट किया गया है कि प्रशिक्षण, प्रशिक्षण संस्थानों में या काम के स्थानों पर या जिला, विभागों द्वारा उप जिला स्तर पर विकेन्द्रीकृत आधार पर प्रदान किया जाये। प्रशिक्षण तकनीक प्रशिक्षण के लक्ष्य समूह पर निर्भर करता है। हालांकि व्याख्यान, समूह चर्चा, परियोजना का काम, ऑडियो विजुअल सामग्री, मुद्रित सामग्री, मामलों के अध्ययन/एक्शन लर्निंग, सोच-विचार व बाहरी भ्रमण की तरह प्रशिक्षण के सभी उपलब्ध आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। विभागों को प्रशिक्षण की जरूरत के विश्लेषण के आधार पर प्रशिक्षण मैनुअल तैयार करने के लिए कहा गया है। विभागों को प्रशिक्षण संस्थानों से संवाद करने तथा उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए निवेदन करना निर्धारित किया गया है।

1. प्रशिक्षण गतिविधियां

संस्थान की प्रमुख प्रशिक्षण गतिविधियां इस प्रकार से हैं:-

- भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रशिक्षण।
- हि0 प्र0 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण।
- वित्त एवं लेखा सेवाओं (एचपीएफ एवं एएस भाग-1 और भाग-2) के लिए प्रशिक्षण।
- ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम।

- कार्यालय पद्धति एवं वित्तीय प्रशासन, अनुशासनात्मक कार्यवाही और आचरण सम्बन्धी नियम, टिप्पणी और प्रारूप लेखन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- अन्य राज्यों/संगठनों के लिए मांग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- आरटीआई अधिनियम 2005, और हि. प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 ।
- आपदा प्रबन्धन पर प्रशिक्षण।
- सेवोत्तम प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- सेमिनारसम्मेलन/कार्यशाला/।
- सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित प्रशिक्षण।
- क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों/जिला प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित प्रशिक्षण।
- प्रशासनिक विकास का प्रकाशन, हिपा जरनल।
- हिपा ई न्यूजलेटर, हिपा अपडेट का ऑनलाइन प्रकाशन ।
- पाठ्यक्रम मॉड्यूल, प्रशिक्षण नियमावली और पठन सामग्री तैयार करना।

2. 2022-23 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उन विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन पर बल दिया गया जिससे कर्मचारियों की क्षमता विकास में वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त उभरते प्रशासकीय मुद्दों पर प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया और साथ ही इस विषय को अत्याधुनिक स्तर पर कर्मचारियों की जॉब प्रोफाइल के लिए प्रत्यक्ष प्रासंगिकता प्रदान की गई। हिपा परिसर और क्षेत्रीय/जिला प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित पाठ्यक्रम के विवरण का सारांश इस प्रकार है:-

क्र.स.	पाठ्यक्रम विवरण	पाठ्यक्रम संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	सृजित मानव दिवस
क	आई.ए.एस./एच.ए.एस अधिकारियों के लिए संस्थागत/व्यावसायिक पाठ्यक्रम	03	48	5190
ख	राज्य स्तरीय कार्यक्रम			
1.	कार्यालय प्रबन्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम	30	761	2917
2.	संचार व प्रस्तुति कौशल	1	11	33
3.	सूचना के अधिकार नियम, 2005 और लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011	9	167	334

ग.	भारत सरकार/ कार्मिक एवम् प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रयोजित पाठ्यक्रम	4	65	195
घ.	विभाग विशिष्ट (भुगतान) प्रशिक्षण कार्यक्रम	49	1554	8252
ङ.	आई.सी.टी. (कंप्यूटर) प्रशिक्षण (हिपा)	29	583	1262
च	प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	174	1818
छ	आपदा प्रबंधन केंद्र के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	199	703
ज	सेमिनार/सम्मेलन/ कार्यशालाएँ	24	1134	1824
झ	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों/ जिला प्रशिक्षण केंद्रों (मंडी, चम्बा, नाहन एवम् धर्मशाला	47	807	2665
कुल:-		206	5503	25193

3. वर्ष-2022-2023 के दौरान आयोजित पाठ्यक्रमों का श्रेणीवार विवरण संस्थागत/व्यावसायिक पाठ्यक्रम

क्र.स.	पाठ्यक्रम विवरण	पाठ्यक्रम संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	सृजित मानव दिवस
1.	वर्ष 2020 बैच के भा.प्र.से. (प्रोबेशनर) के लिए संस्थागत	1	3	60
2	एच.ए.एस. एवम् सम्बद्ध अधिकारियों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	15	540
3	वित्त एवं लेखा सेवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (एचपीएफ एवं एएस भाग-1)	1	30	4590
कुल		3	48	5190

राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. कार्यालय प्रबन्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.स.	पाठ्यक्रम विवरण	पाठ्यक्रम संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	सृजित मानव दिवस
1	कार्यालय प्रक्रिया और वित्तीय प्रशासन	12	342	1710
2	आचरण नियम और अनुशासनिक कार्यवाही	10	210	639
3	टिप्पणी लेखन एवं प्रारूपण	8	209	568
कुल		30	761	2917

2. संचार और प्रस्तुति कौशल

क्र.स.	पाठ्यक्रम विवरण	पाठ्यक्रम संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	सृजित मानव दिवस
1.	संचार और प्रस्तुति कौशल	1	11	33

3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.स.	पाठ्यक्रम विवरण	पाठ्यक्रम संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	सृजित मानव दिवस
1.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011	9	167	334

भारत सरकार/ कार्मिक एवम् प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.स.	पाठ्यक्रम विवरण	पाठ्यक्रम संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	सृजित मानव दिवस
1	आवश्यक जीवन कौशल	1	20	60
2	प्रभावी वितरण के लिए नेतृत्व और टीम निर्माण	1	15	45
3	समय प्रबंधन और तनाव प्रबंधन	1	15	45
4	सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रगतिशील सोच	1	15	45
कुल:-		4	65	195

विभाग विशिष्ट (भुगतान) कार्यक्रम

क्र.स.	पाठ्यक्रम विवरण	पाठ्यक्रम संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	सृजित मानव दिवस
1	वित्त एवं लेखा सेवाओं (एसएस भाग- II) एचआरटीसी उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	11	1606
2.	कार्यालय प्रक्रिया एवं वित्तीय प्रशासन	1	23	69
3	कार्यालय प्रक्रिया एवं वित्तीय प्रशासन	1	22	66
4	स्टेनोग्राफर, पीएस और एसपीएस के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	1	19	95
5	दक्षिण एशिया में औषधि कानून प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करना	1	57	285
6.	एएओ के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	37	185
7	आत्मा पदाधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	1	29	87
8	कार्यालय प्रक्रिया एवं वित्तीय प्रशासन	1	24	120
9.	प्रशासनिक कार्मिक, पीएस और एसपीएस के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	1	20	100
10.	बिहार निर्वाचन सेवा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण-एवं अध्ययन भ्रमण।	1	43	129

11	कार्यालय प्रक्रिया एवं वित्तीय प्रशासन (तकनीकी शिक्षा)	1	19	95
12.	टिप्पण एवं प्रारूपण (एचपीसीडीपी) जेआईसीए-ओडीए	1	39	117
13.	कार्यालय प्रक्रिया एवं वित्तीय प्रशासन (तकनीकी शिक्षा)	1	13	65
14.	कार्यालय प्रक्रिया एवं वित्तीय प्रशासन (तकनीकी शिक्षा)	1	17	85
15.	स्वस्थ रहें और तनाव प्रबंधन	1	13	39
16	अनुबंध प्रबंधन प्रणाली/जेजेएम	1	55	110
17.	आरओ और एआरओ के लिए प्रमाणन कार्यक्रम	1	83	332
18.	स्वस्थ रहें और तनाव प्रबंधन	1	14	42
19.	एसएसए के तहत शिक्षक/प्रशिक्षक के लिए क्षमता निर्माण	1	38	190
20.	एनआईसीएफ के जेए के लिए प्रेरण और पुनश्चर्या कार्यक्रम	1	21	105
21.	एसएसए के तहत शिक्षक प्रशिक्षक के लिए क्षमता निर्माण	1	38	190
22.	कार्यालय प्रक्रिया एवं वित्तीय प्रशासन	1	25	125
23.	एसएसए के तहत शिक्षक प्रशिक्षक के लिए क्षमता निर्माण	1	29	145
24.	कार्यालय प्रक्रिया एवं वित्तीय प्रशासन	1	33	99
25	कार्यालय प्रक्रिया एवं वित्तीय प्रशासन	1	18	90
26.	एसएसए के तहत शिक्षक प्रशिक्षक के लिए क्षमता निर्माण	1	41	205
27.	एनआईसीएफ के जेए के लिए प्रेरण और पुनश्चर्या कार्यक्रम	1	20	100
28.	एसएसए के तहत शिक्षक प्रशिक्षक के लिए क्षमता निर्माण	1	28	140
29.	टिप्पण एवं प्रारूपण और तनाव प्रबंधन	1	36	72

30.	जीवन कौशल माइंडफुलनेस पाठ्यक्रम विकास	1	35	175
31.	एएओ के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	42	210
32.	एलडीसी के लिए प्रेरण एवं एक्सपोजर	1	25	125
33.	जीवन कौशल माइंडफुलनेस पाठ्यचर्या विकास	1	30	146
34.	प्रौद्योगिकी सक्षमता-सह-नेतृत्व	1	26	130
35.	एनआईसी के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण	1	35	210
36.	यूटी लद्दाख के बीडीओ के लिए प्रशिक्षण-एक्सपोजर टूर-सह	1	17	68
37.	बिहार के प्रशिक्षु अधिकारियों का प्रशिक्षण-सह-अध्ययन दौरा	1	58	348
38.	बिहार के प्रशिक्षु अधिकारियों का प्रशिक्षण-सह-अध्ययन दौरा	1	59	354
39.	प्रौद्योगिकी सक्षमता-सह-नेतृत्व	1	36	180
40.	बिहार के प्रशिक्षु अधिकारियों का प्रशिक्षण-सह-अध्ययन दौरा	1	54	324
41.	मोबाइल ऐप पर अखिल भारतीय टीडीपी विकास।	1	31	186
42.	मानव सम्पदा	2	42	110
43.	आर्थोपेडिक सर्जरी पर पाठ्यक्रम	1	45	135
44.	पीएफएमएस	1	27	54
45.	अनुप्रयुक्त भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी	1	41	123
46.	प्रभावी कार्यालय प्रबंधन के लिए आईटी	1	24	72
47.	जेम एवं ईप्रोक्योरमेंट-	2	62	214
कुल		49	1554	8252

आई.टी. (कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम)

क्र.सं	विवरण	पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	सृजित मानव दिवस
1.	मानवसंपदा	05	135	270
2.	ई-प्रोक्योरमेंट और जैम	04	82	164
3.	पावरप्वाइंट पर कंप्यूटर कोर्स	03	48	96
4.	एक्सेल पर कंप्यूटर कोर्स	03	39	78
5.	बेसिक कम्प्यूटर कोर्स	07	131	393
6.	आईएफएमएस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	02	35	35
7.	समग्र ई-समाधान	01	15	30
8.	साइबर और नेटवर्क	01	15	30
9.	ई-शासन	01	17	34
10.	आरएमएस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	02	66	132
कुल		29	583	1262

प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं	विवरण	पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	सृजित मानव दिवस
1.	प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	01	50	600
2.	सार्वजनिक कार्यालय की साइबर सुरक्षा की अनिवार्यता	01	15	45
3.	ई- प्रोक्योरमेंट और जैम	01	15	45
4.	प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (राजस्व)	01	54	648
5.	प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्वास्थ्य)	01	40	480
कुल		5	174	1818

आपदा प्रबंधन केंद्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम

क्र.सं	विवरण	पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	सृजित मानव दिवस
1.	वन अग्नि शमन और प्रबंधन पर टीओटी	01	42	126
2.	आपदा जोखिम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में युवाओं और किशोरों को शामिल करने पर टीओटी	01	53	265
3.	संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी कानूनी व्यवस्था को मजबूत करना।	01	12	36
4.	आपदा प्रबंधन में लैंगिक मुद्दे	01	11	33
5.	ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण को जोड़ना	01	81	243
कुल		5	199	703

संगोष्ठी / कार्यशालाएं / सम्मलेन

क्र.सं	विवरण	पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	सृजित मानव दिवस
1.	जीआरबी प्रशिक्षण किट पायलट और प्रमुख अनुसंधान निष्कर्ष	01	36	72
2.	मतदाता सूची प्रबंधन प्रणाली	01	38	38
3.	नजीडीआरएस पर एक दिवसीय कार्यशाला	01	61	61
4.	समर्थन समीक्षा मिशन	01	33	66
5.	वन एवं वन्य जीवन	01	28	28
6.	अध्यायवार कार्यशालाओं की समीक्षा	01	21	63
7.	ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों (एचटीवी) के लिए ओरिएंटेशन कार्यशाला	01	84	84
8.	अध्यायवार कार्यशालाओं की समीक्षा	01	19	57

9.	सड़क सुरक्षा	01	54	108
10.	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	01	43	86
11.	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	01	39	78
12.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर संवेदीकरण और क्षमता निर्माण	01	58	58
13.	मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन	01	79	158
14.	ई-मोबिलिटी में परिवर्तन	01	74	74
15.	वन एवं वन्य जीव संरक्षण	01	64	64
16.	मूल्य निगरानी	01	37	37
17.	सड़क सुरक्षा	01	35	70
18.	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	01	86	172
19.	सड़क सुरक्षा	01	51	102
20.	लिंग अनुकूल भवन निर्माण प्रशिक्षण	01	35	70
21.	लिंग अनुकूल भवन निर्माण प्रशिक्षण	01	35	70
22.	पर्यावरण प्रबंधन एवं प्रदूषण नियंत्रण	01	48	96
23.	राजभाषा सम्मेलन	01	52	104
24.	डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई	01	40	40
कुल		24	1150	1856

आरटीसी मंडी, नाहन, चंबा, धर्मशाला में संचालित पाठ्यक्रम

क्र.सं	विवरण	पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	सृजित मानव दिवस
1.	मंडी	11	172	597
2.	चंबा	6	99	297
3.	नाहन	12	138	325

4.	धर्मशाला	18	398	1446
कुल		47	807	2665

आरटीआई अधिनियम का कार्यान्वयन

भारत सरकार ने नागरिकों को जानकारी प्रदान करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" लागू किया है। वर्ष 2022-23 के दौरान हिपा के निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी प्रतिमा के अधीन प्राधिकारी थे।

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नामित प्राधिकारी	टेलीफोन नंबर	मोबाइल नंबर
1.	श्रीरुग्वेद ठाकुर ., भा. प्र. से.निदेशक	अपीलीय प्राधिकारी	0177-2734777	-
2.	श्री विकास गुप्ता, संयुक्त नियंत्रक	जन सूचना अधिकारी	-	70184-59071

वर्ष 2022-23 के दौरान आर0टी0आई0 के अन्तर्गत आवेदन/अपील का विवरण निम्नानुसार है

कुल प्राप्त आवेदन पत्र	70
उपलब्ध कराई गई जानकारी	68
आवेदन अस्वीकृत	02
निरीक्षण के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है	-
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की गई	19
राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील	07
आवेदन/अतिरिक्त शुल्क/निरीक्षण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि	3636/-

हिपा में सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई

01-04-2022 से 31-03-2023 के दौरान सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई द्वारा की गई गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तिथि	विचारार्थ प्रस्तुत करने की तिथि	विषय की तिथि	राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना की तिथि।	अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि
1.	अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मंडी का निर्माण हि. प्र.	30.04.2022	25.05.2022		पर्यटन एवं सी.ए. विभाग ने 30.09.2022 को अधिसूचना जारी की	इस कार्यालय द्वारा 31-03.2023 को अंतिम एसआईए रिपोर्ट हि. प्र. सरकार को सौंप दी गई है।
2.	सुनी बांध HEP (382 MW)	01-11-2022	अधिसूचना के लिए प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत किया गया। और निकाय प्राप्त करके एसआईएयू खाते में एसआईए शुल्क जमा किया गया।			
3.	रुपिन एचईपी (45मेगावाट)	10-08-2022	अधिसूचना के लिए प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत किया गया। और निकाय प्राप्त करके एसआईएयू खाते में एसआईए शुल्क जमा किया गया।			
4.	नया ओपीडी ब्लॉक आईजीएमसी शिमला	14-11-2022	अधिसूचना के लिए प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत किया गया। और निकाय प्राप्त करके एसआईएयू खाते में एसआईए शुल्क जमा किया गया।			
5.	जिला चम्बा में चम्बा स्कोह-किरी मार्ग पर साल नाले पर डबल लेन पुल	14-11-2022	अधिसूचना के लिए प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत किया गया। और निकाय प्राप्त करके एसआईएयू खाते में एसआईए शुल्क जमा किया			

			गया।		
6.	डाकघर भवन मशोबरा शिमला (ग्रामीण)	27-01-2023	अधिसूचना के लिए प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत किया गया। और निकाय प्राप्त करके एसआईएयू खाते में एसआईए शुल्क जमा किया गया।	राजस्व विभाग ने 27-03-2023 को अधिसूचना जारी की	अंतिम एसआईए रिपोर्ट हि. प्र सरकार को इस कार्यालय द्वारा 31-05-2023 को सौंप दी गई है।
7.	कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार	14-02-2023	अधिसूचना के लिए प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत किया गया। और निकाय प्राप्त करके एसआईएयू खाते में एसआईए शुल्क 15-02-2023 को जमा किया गया।	पर्यटन एवं सीए विभाग ने 15-02-2023 को अधिसूचना जारी की	अंतिम एसआईए रिपोर्ट एसआर एशिया द्वारा इस कार्यालय को 24-04-2023 को प्रस्तुत की गई है

विभागीय परीक्षा बोर्ड

वर्ष 2022-2023 के दौरान, सितंबर, 2022 सत्र में निम्नलिखित श्रेणियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवारों का उत्तीर्ण प्रतिशत नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है: -

क्र०सं०	वर्ग	विभागीय परीक्षा के लिए कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या 9/2022	उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या 9/2022
1.	भारतीय प्रशासनिक सेवा	03	03
2.	हिमाचल प्रशासनिक सेवा	19	16
3.	तहसीलदार/नायब तहसीलदार	602	406
4.	भारतीय वन सेवा/हि.प्र.वन सेवा अधिकारियों/ अन्य राजपत्रित/ अराजपत्रित अधिकारियों राज्य सरकार के तकनिकी/ गैर तकनिकी वर्ग	1878	1315

5.	आवकारी एवम कराधान विभाग के आवकारी एवम कराधान निरीक्षक	42	27
6.	हि०प्र०राज्य विद्युत् बोर्ड	54	45
7.	हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड	14	09
8.	हि०प्र० पर्यटन विकास निगम लि०	02	01
9.	कानूनगो/पटवारी	418	303
10.	हि० पथ परिवहन निगम के राज्य लेखा सेवा भाग-1	11	11
कुल		3043	2136

अधिसूचना संख्या पर (प्रशिक्षण) 1(3)ई96-/1(3) -, दिनांक 20-10-1998 के अनुसार, विभागीय परीक्षा बोर्ड ने निम्नलिखित श्रेणियों के उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया जिन्होंने माह सितम्बर, 2022 में आयोजित 40% एवं 50% से कम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने वाली विभागीय परीक्षा का मूल्यांकन के लिए पुनः आवेदन किया था

क्र०स०	वर्ग	पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या
1.	हिमाचल प्रशासनिक सेवाएं	01
2.	आवकारी और कराधान निरीक्षक	03
3.	तहसीलदार/नायब तहसीलदार	53
4.	कानूनगो/पटवारी	34
5.	भारतीय वन सेवाएं/हिमाचल प्रदेश वन सेवाएं और राज्य सरकार के अन्य राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारी (तकनीकी/गैर-तकनीकी)	107
कुल		198

